सत्यमेव जयते

भारत सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

निर्मल भारत अभियान

सफ़ाई में भलाई

दिशा–निर्देश

निर्मल भारत अभियान

निर्मल भारत अभियान

सफ़ाई में भलाई

विषय सूची

1. भूमिका 1
2. उद्देश्य 2
3. कार्यनीति 2
4. कार्यान्वयन 2
5. घटक 3
    (क) आरंभिक क्रियाकलाप 3
    (ख) आई.ई.सी. क्रियाकलाप 3
    (ग) क्षमता निर्माण 4
    (घ) वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों का निर्माण 4
    (ड.) ग्रामीण स्वच्छता मार्ट और उत्पादन केन्द्र 5
    (च) जिले में परिक्रामी निधि का प्रावधान 6
    (छ) सामुदायिक स्वच्छता परिसर 6
    (ज) संस्थागत शौचालय 7
    (झ) ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन 8
    (ञ) निर्मल भारत अभियान (एनबीए) के अंतर्गत सृजित सुविधाओं का अनुरक्षण 9
    (ट) प्रशासनिक प्रभार 9
6. राष्ट्रीय योजना स्वीकृति समिति 10
7. कार्यान्वयन एजेंसी 10
8. पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका 12
9. गैर–सरकारी संगठनों की भूमिका 12
10. निगमित निकायों की भूमिका 12
11. परियोजना का वित्तपोषण 13
12. वार्षिक कार्यान्वयन योजना (एआईपी) 13
13. निधियों की रिलीज 14
    13.1 केन्द्र से राज्य स्तरीय कार्यान्वयन निकाय को रिलीज 14
    13.2 राज्य स्तर से जिला स्तर को रिलीज 15
14. एनबीए के अंतर्गत जारी निधियों पर अर्जित ब्याज 15
15. निरीक्षण 15
16. राज्य समीक्षा मिशन 16
17. सामाजिक लेखा परीक्षण 16
    17.1 भूमिका 16
    17.2 स्वच्छता दिवस 16
    17.3 ग्राम स्वच्छता दिवस (जी.एस.एस.) 17
18. परियोजना मे संशोधन 18
19. रिपोर्ट 19
20. मूल्यांकन 19
21. अनुसंधान 20
22. वार्षिक लेखा परीक्षण 20
23. परियोजना का समापन 20
24. अनुबंध (Annexures) 21

निर्मल भारत अभियान

सफ़ाई में भलाई

शब्द-संक्षेप

एआईपी – वार्षिक कार्यान्वयन रिपोर्ट
एपीएल – गरीबी रेखा से ऊपर
आशा – प्रत्यायित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता
बीपीएल – गरीबी रेखा से नीचे
सीबीओ – समुदाय आधारित संगठन
सीसीडीयू – सम्प्रेषण और क्षमता विकास इकाई
सीआरएसपी – केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम
सीएससी – सामुदायिक स्वच्छता परिसर
सीएसआर–
डीडब्ल्यूएससी – जिला जल और स्वच्छता समिति
डीडब्ल्यूएसएम – जिला जल और स्वच्छता मिशन
जीओआई – भारत सरकार
जीपी – ग्राम पंचायत
जीएसएस – ग्राम स्वच्छता सभा
आईएवाई – इन्दिरा आवास योजना
आईईसी – सूचना, शिक्षा और सम्प्रेषण
आईएचएचएल – वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय
आईपीसी – अन्तर वैयक्तिक सम्प्रेषण
एमएलएएलएडीएस – विधान सभा सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना
एमएनआरईजीएस – महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
एमपीएलएडीएस – संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना
जवरूएमआईएस–
एनबीए – निर्मल भारत अभियान
एनजीओ–
एनजीपी – निर्मल ग्राम पुरस्कार
एनआरएचएम – राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन
एनएसएससी – राष्ट्रीय योजना स्वीकृति समिति
पीएसी – योजना अनुमोदन समिति
पीसी – उत्पादन केन्द्र
पीएचईडी–
एसएसएचई–
पीआरआई – पंचायती राज संस्था
आरएसएम – ग्रामीण स्वच्छता मार्ट
एसएचपी – स्व–सहायता समूह
एसएलडब्ल्यूएम – ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन
एसएसए – सर्व शिक्षा अभियान
एसएसएससी – राज्य योजना स्वीकृति समिति
एसडब्ल्यूएसएम – राज्य जल और स्वच्छता मिशन
टीएससी – सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान
वीडब्ल्यूएससी – ग्रामीण जल और स्वच्छता समिति
डब्ल्यूएसएसओ – जल एवं स्वच्छता सहायता संगठन

1. पृष्ठभूमि :

1.1 व्यक्तिगत स्वास्थ्य और साफ–सफाई काफी हद तक पेयजल और समुचित स्वच्छता सुविधा की उपलब्धता पर निर्भर करती है। इसलिए जल स्वच्छता और स्वास्थ्य के बीच सीधा संबंध है। अस्वच्छ पेयजल का उपयोग करना, मानव मल का सही ढंग से निपटान न किया जाना, पर्यावरण की समुचित साफ–सफाई की व्यवस्था का न होना तथा स्वंय की और भोजन की सफाई की व्यवस्था न होना, विकासशील देशों में कई बीमारियों के प्रमुख कारण रहे हैं। भारत भी इससे अछूता नहीं है। सरकार ने 1986 में केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम शुरू किया। इसका प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर को सुधारना और महिलाओं को निजता तथा प्रतिष्ठा प्रदान करना था।

1.2 व्यक्तिगत साफ–सफाई, घरेलू स्वच्छता, स्वच्छ पेयजल, कूड़ा करकट निपटान, मलमूत्र निपटान और अपशिष्ट जल के निपटान को शामिल करने के लिए स्वच्छता की अवधारणा का विस्तार किया गया। स्वच्छता की इस व्यापक अवधारणा के साथ केन्द्रीय स्वच्छता कार्यक्रम में "सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान" के नाम से "मॉग आधारित" दृष्टिकोण अपनाया गया, जिसे 1999 से लागू किया गया। संशोधित दृष्टिकोण में सूचना, शिक्षा और संचार, मानव संसाधन विकास, क्षमता विकास क्रियाकलापों पर पहले से जोर दिया गया, ताकि लोगों में जागरूकता पैदा की जा सके और स्वच्छता सुविधाओं की मांग पैदा की जा सके। इससे वैकल्पिक वितरण तंत्र के माध्यम से अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार उपयुक्त विकल्पों का चयन करने की लोगों की क्षमता बढ़ी। इस कार्यक्रम को समुदाय उन्मुख और जनकेन्द्रित पहलों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए कार्यान्वित किया गया। गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों द्वारा निजी पारिवारिक शौचालय बनावाए जाने और उसका इस्तेमाल किये जाने की उनकी उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए उन्हें वित्तीय प्रोत्साहन दिये गये। ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के तहत क्रियाकलाप शुरू करने के अलावा विद्यालय शौचालय इकाइयों, ऑगनवाड़ी शौचालय और सामुदायिक स्वच्छता परिसरों के निर्माण के लिए भी सहायता का विस्तार किया गया।

1.3 संपूर्ण स्वचछता अभियान को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने निर्मल ग्राम पुरस्कार भी शुरू किया जिसमें पूर्ण स्वच्छता कवरेज हासिल करने की दिशा में हासिल की गई उपलब्धियों और किए गए प्रयासों को मान्यता दी जाती है। इस पुरस्कार को अत्यधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई और इसने निर्मल स्थिति हासिल करने के लिए समुदाय में एक आंदोलन शुरू करने में प्रभावी योगदान दिया और इसके माध्यम से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता दायरा को बढ़ाने के लिए हासिल की गई उपलब्धियों में काफी वृद्धि हुई।

1.4 निर्मल ग्राम पुरस्कार की सफलता से प्रोत्साहित होकर संपूर्ण स्वच्छता अभियान का नाम बदलकर **"निर्मल भारत अभियान"** किया जा रहा है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता दायरा में तेजी लाना है, ताकि नई कार्यनीतियों और संतृप्ति–करण दृष्टिकोण के माध्यम से ग्रामीण समुदाय को व्यापक रूप से शामिल किया जा सके।

एन बी ए के अन्तगर्त निम्नलिखित प्राथमिकताओं के साथ निर्मल ग्राम पंचायतें बनाने की दृष्टि से संतृप्ति परिणाम हासिल किये जाने की योजना है।

- ग्राम पंचायत में गरीबी रेखा से नीचे और गरीबी रेखा से ऊपर दोनों के निर्धारित परिवारों, के लिए निजी पारिवारिक शौचालय की व्यव्स्था।
- ऐसी ग्राम पंचायतों का चयन जिनमें सभी बस्तियों में पानी उपलब्ध हो। उन ग्राम पंचायतों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिनमें कार्यशील पाइप द्वारा जल आपूर्ति की सुविधा हो।
- इन ग्राम पंचायतों में सरकारी स्कूलों और सरकारी भवनों में चलाई जाने वाली ऑगनवाड़ियों में स्वच्छता सुविधाओं की व्यवस्था।
- प्रस्तावित और मौजूदा निर्मल ग्रामों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था।
- स्थायी स्वच्छता के लिए पंचायती राज संस्थाओं, ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों तथा क्षेत्रीय कर्मियों जैसे हिस्सेदारों की गहन क्षमता का विकास।
- एमएनआरईजीएस के साथ अकुशल श्रम दिवसों और कुशल श्रमदिवसों के अनुसार समुचित तालमेल।

2. उद्देश्य

2.1 निर्मल भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार है।

क) ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य जीवन स्तर में सुधार करना।

ख) देश में सभी ग्राम पंचायतों द्वारा निर्मल स्थिति प्राप्त करने के साथ 2022 तक निर्मल भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए स्वच्छता कवरेज में तेजी लाना।

ग) जागरूकता सृजन और स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से स्थायी स्वच्छता सुविधाओं को बढ़ावा देने वाले समुदायों और पंचायती राज संस्थाओं को प्रोत्साहित करना।

घ) ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वशिक्षा अभियान के तहत शामिल न किये गए विद्यालयों और आंगनवाड़ी केन्द्रों को समुचित स्वच्छता सुविधाओं के साथ कवर करना और छात्रों के बीच स्वास्थ्य शिक्षा और साफ–सफाई की आदतों को बढ़ावा देना।

ङ) पारिस्थितिकीय रूप से सुरक्षित और स्थायी स्वच्छता के लिए किफायती तथा उपयुक्त प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना।

च) ग्रामीण क्षेत्रों में संपूर्ण स्वच्छता के लिए ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर विशेष ध्यान देते हुए, समुदाय प्रबंधित पर्यावरणीय स्वच्छता पद्धति विकसित करना।

3. कार्यनीति

3.1 "समुदाय नेतृत्व निर्मित" और "जनकेद्रिंत" कार्यनीतियॉ तथा सामुदायिक संतृप्तिकरण दृष्टिकोण अपनाते हुए ग्रामीण भारत को "निर्मल भारत " में परिवर्तित करने की रणनिति है। जागरूकता सृजन और घरों, विद्यालयों में स्वच्छता सुविधाओं के सृजन की मांग पैदा करने तथा स्वच्छ वातावरण पर जोर देते हुए "मॉग उन्मुख दृष्टिकोण" को जारी रखा जाना है। समुदाय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वैकल्पिक सुपुर्दगी तंत्र अपनाये जाऐंगे। सबसे गरीब परिवारों को निजी पारिवारिक षैचालय इकाइयों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन की व्यवस्था को विस्तृत किया गया है ताकि अन्य जरूरतमंद परिवारों को भी शामिल किया जा सके और इस तरह सामुदायिक परिणाम हासिल किये जा सकें। सृजित स्वच्छता सुविधाओं के स्थायित्व के लिए ग्राम पंचायत में पानी की उपलब्धता एक महत्वपूर्ण कारक रहेगा। ग्रामीण विद्यालय स्वच्छता एक प्रमुख घटक होता है और ग्रामीण लोगों द्वारा स्वच्छता को व्यापक रूप से स्वीकार करने का प्रवेश बिंदु होता है। ग्राहक की प्राथमिकताओं और स्थान विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, व्यापक प्रौद्योगिकी विकल्प उपलब्ध कराये जा रहे हैं। गहन आईईसी अभियान इस कार्यक्रम का आधार है, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं, सहकारी समितियों, आशा, ऑगनवाड़ी कार्यकर्ता, महिला समूह, स्वसहायता समूह, गैर–सरकारी संगठन इत्यादि शामिल होते हैं। कारपोरेट घरानों को शामिल करने की रूपरेखा प्रस्तुत की जा रही है। निर्मल भारत अभियान की कार्यान्वयन प्रक्रिया में और अधिक पारदर्शी प्रणाली शुरू की जा रही है, जिसमें सामाजिक लेखा परीक्षा और सक्रिय जनभागीदारी शामिल है। निधि उपलब्धता के साथ ग्रामीण परिवारों की मदद करने के लिए एमएनआरईजीएस के साथ तालमेल करना भी महत्वपूर्ण होगा ताकि वे खुद की स्वच्छता सुविधाएँ सृजित कर करने के लिए धन हासिल कर सकें।

4. कार्यान्वयन

4.1 निर्मल भारत अभियान के दिशा–निर्देश और इसमें दिए गए प्रावधान 1/4/2012 से लागू हैं। निर्मल भारत अभियान का कार्यान्वयन ग्राम पंचायत को आधार इकाई मानकर करने का प्रावधान है। किसी जिले से आने वाले परियोजना प्रस्ताव की राज्य सरकार द्वारा जॉच की जाती है और उसे समेकित किया जाता है तथा राज्य योजना के रूप में भारत सरकार, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय को भेज दिया जाता है। निर्मल भारत अभियान को आरंभिक क्रियाकलापों के साथ अलग–अलग चरणों में कार्यान्वित किया जाएगा। प्रारंभिक आईईसी कार्य के लिए निधियॉ उपलब्ध कराई जाती है। वास्तविक कार्यान्वयन महसूस की गई आवश्यकताओं को पूरा.करने वाला होगा जिसमें हर परिवार अपने पारिवारिक शौचालयो के लिए विकल्पों की सूची से विकल्प का चयन करेगा। विकल्पों की सूची में निर्मित लोचनीयता गरीब तथा उपेक्षित परिवारों को बाद में अपनी जरूरतों और आर्थिक स्थिति के आधार पर उन्नयन

का अवसर प्रदान करता है। "अभियान दृष्टिकोण "में सरकारी एजेंसियों और अन्य हिस्सेदारों के बीच सहयोगात्मक बातचीत जरूरी है। प्रासंगिक स्वच्छता प्रथाओं में वांछित व्यावहारिक बदलाव लाने के लिए गैर–सरकारी संगठनों/पंचायती राज संस्थाओं/संसाधन संगठनों की भागीदारी के साथ गहन आईईसी तथा प्रचार–प्रसार की व्यवस्था की गई है।

4.2 निर्मल भारत अभियान का कार्यान्वयन जिला को परियोजना इकाई मानकर किया जाएगा। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से यह अपेक्षा है कि वे सभी जिलों के लिए निर्मल भारत अभियान परियोजनाएं तैयार करें/उसे संशोधित करें, राज्य योजना के रूप में राज्य स्तर पर समेकित करें तथा भारत सरकार के सम्मुख प्रस्तुत करें।

5. निर्मल भारत अभियान के घटक

निर्मल भारत अभियान के कार्यान्वयन के लिए कार्यक्रम घटक तथा क्रियाकलाप निम्नानुसार हैं :

(क) आरंभिक क्रियाकलाप

5.1.1 आरंभिक क्रियाकलाप में निम्न शामिल हैं :

- क. स्वच्छता तथा साफ–सफाई कार्यों की स्थिति का आकलन करने के लिए प्रारंभिक सर्वेक्षण करना
- ख. आधार रेखा सर्वेक्षण
- ग. जिला/ग्राम पंचायत स्तर पर प्रमुख कार्मिकों का प्रबोधन
- घ. राज्य योजना तैयार करना

आरंभिक क्रियाकलापों के लिए 10 लाख रूपये तक की लागत की पूर्ति सूचना, शिक्षा और संचार (आईसी) निधियों से की जाएगी। यदि अतिरिक्त निधि की आवश्यकता पड़ती है, तो उसकी पूर्ति राज्य द्वारा की जाएगी।

(ख) आईईसी क्रियाकलाप

5.2.1 सूचना, शिक्षा एवं संचार इस कार्यक्रम के महत्वपूर्ण घटक हैं। इनका लक्ष्य व्यावहारिक बदलाव के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में घरों, स्कूलों, आंगनवाड़ियों में स्वच्छता सुविधाओं और सामुदायिक स्वच्छता परिसरों की मांग पैदा करना है। इन घटकों के तहत शुरू किए जाने वाले क्रियाकलाप क्षेत्र विशिष्ट होंगे और उनमें ग्राम आबादी के सभी वर्गों को शामिल भी किया जाएगा। आईईसी केवल एक बार किया जाने वाला क्रियाकलाप नहीं है। निर्माण को बढ़ावा देने वाली मांग सृजन को शामिल करने के लिए आईईसी कार्यनीति और योजना तैयार करनी होती है तथा उसका स्थायी रूप से इस्तेमाल करना होता है। आईईसी क्रियाकलाप सभी स्तरों अर्थात जिला, ब्लॉक तथा ग्राम पंचायतों में चलाए जाने चाहिए।

5.2.2 भारत सरकार के द्वारा बुनियादी स्तर पर परस्पर चर्चा पर जोर देते हुए एक राष्ट्रीय संचार नीति की रूपरेखा तैयार की गई है। राज्यों को सामूहिक मीडिया, मास मीडिया और आउटडोर मीडिया जैसे दीवार पेंटिंग, होर्डिंग इत्यादि का भी इस्तेमाल करते हुए खुद की कार्यनीति तैयार करनी होगी। आईईसी में स्वास्थ्य तथा साफ–सफाई कार्यों और पर्यावरण स्वच्छता के पहलुओं पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

5.2.3 परस्पर चर्चा और घर–घर जाकर संपक्र करने के कार्य को कार्यक्रम लक्ष्यों को हासिल करने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन माना गया है। भीगीदारीपूर्ण सामाजिक एकजुटता के साथ ग्राम स्तर पर संचार तंत्र को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से ग्राम स्तरीय प्रेरकों (स्वच्छतादूत/स्वच्छता प्रबंधकों) को शामिल करने के दिशा–निर्देश अलग से जारी किए गए हैं। इस कार्यनीति के हिस्से के रूप में स्वच्छता दूतों के अलावा, क्षेत्रीय कर्मियों जैसे – भारत निर्माण स्वयंसेवकों, आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, विद्यालय शिक्षकों इत्यादि को भी ग्राम स्तर पर मांग सृजन और

व्यावहारिक बदलाव लाने संबंधी चर्चा में शामिल किया जा सकता है। प्रेरकों को आईईसी के लिए निर्धारित की गई निधि से उपयुक्त प्रोत्साहन राशि दी जा सकती है। प्रोत्साहन राशि कार्यनिष्पादन अर्थात् शौचालय बनाने और उनका इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किए गए परिवारों और विद्यालयों/आंगनवाड़ियों की संख्या पर आधारित होगी।

5.2.4 प्रत्येक परियोजना जिला समुदाय के सभी वर्गों तक पहुंचने के लिए विस्तृत आईईसी योजना के साथ–साथ स्पष्ट कार्यनीति के साथ वार्षिक कार्य योजना तैयार करेगा। इस तरह की संचार योजना का लक्ष्य ग्रामीण लोगों को जीवन जीने के तरीके के रूप में साफ–सफाई की आदत को अपनाने के लिए प्रेरित करना और इसके माध्यम से कार्यक्रम के तहत सभी सुविधाएँ विकसित करना तथा उनका रखरखाव करना है। वार्षिक आईईसी कार्ययोजना को डीडब्ल्यूएससी/डीडब्ल्यूएसएम द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित किया जाना चाहिए। राज्य स्तर पर बनाई गई संचार एवं क्षमता विकास इकाइयां/जल एवं स्वच्छता सहयोग संगठन एक अच्छी आईईसी योजना तैयार करने और उसे कार्यान्वित करने में जिलों की मदद करेंगे। स्वच्छता दिवस/स्वच्छता सप्ताह/स्वच्छता पखवाड़ा मनाना वार्षिक कार्ययोजना का अनिवार्य हिस्सा होना चाहिए।

5.2.5 आईईसी सामग्रियों का प्रभावी तरीके से प्रचार–प्रसार करने के लिए ब्लाकों तथा ग्राम पंचायतों को कार्यों के निष्पादन के लिए इस घटक के तहत निधियां भी दी जा सकती हैं। परस्पर चर्चा करने, प्रेरकों का चयन करने, दीवार पेंटिंग, नुक्कड़ नाटक जैसे कार्य निष्पादित करने इत्यादि के लिए स्थानीय गैर सरकारी संगठनों को शामिल करने के लिए इस तरह के क्रियाकलाप शुरू कर सकते हैं। पंचायतों द्वारा तैयार की गई इस तरह की सामग्री को जिला अथवा सीसीडीयू द्वारा मानकीकृत किया जाना चाहिए।

5.2.6 आईईसी निधियों को मोटेतौर पर प्री–निर्मल तथा पोस्ट–निर्मल चरण में विभाजित किया जाना चाहिए ताकि अभियान को जारी रखने के लिए निधियां उपलब्ध रहें। फिर भी, परियोजना जिलों को बेसलाइन सर्वेक्षण रिपोर्टों और स्वच्छता कवरेज की तीव्रता की दर के आधार पर इस विभाजन के संबंध में निर्णय लेने की छूट होगी।

5.2.7 आईईसी के तहत उपलब्ध निधियों का इस्तेमाल ग्रामीण समुदायों, आम जनता और विद्यालयों में बच्चों को साफ–सफाई की शिक्षा देने के लिए किया जा सकता है। आईईसी योजना में स्कूल जाने वाले बच्चों, शिक्षकों तथा अभिभावक–शिक्षक संगठनों में जागरूकता का स्तर बढ़ाने का एक घटक शामिल होना चाहिए।

5.2.8 आईईसी का वित्तपोषण भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच 80:20 के अनुपात में किया जाएगा और आरंभिक अनुदान सहित कुल आईईसी लागत कुल परियोजना लागत के 15 प्रतिशत तक सीमित होगी।

(ग) क्षमता निर्माण

5.3.1 यह घटक वीडब्ल्यूएससी तथा पंचायती राज संस्था के सदस्यों, ब्लॉक तथा जिला कर्मियों और बुनियादी स्तर के कर्मियों जैसे – आशा और अन्य स्वास्थ्य, शिक्षा तथा इनसे संबंधित कर्मियों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं इत्यादि के प्रशिक्षण के लिए है। स्वसहायता समूहों को जागरूकता बढ़ाने वाले क्रियाकलापों के रूप में राजमिस्त्री संबंधी काम, ईंट बनाने, टॉयलेट पैन बनाने और नलमिस्त्री से संबंधित काम इत्यादि जैसे पेशों में भी प्रशिक्षित किया जा सकता है। सक्षम सीबीओ और गैर–सरकारी संस्था को ऐसे कार्यों के लिए भी सम्मलित किया जा सकता है। राज्य संसाधन केन्द्रों और क्षेत्रीय/जिला संसाधन केन्द्रों का निर्धारण इस तरह का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए किया जाना चाहिए।

5.3.2 क्षमता निर्माण का वित्तपोषण भारत सरकार और राज्य सरकारों के बीच 80:20 के अनुपात में किया जाएगा तथा यह आईईसी बजट का 2 प्रतिशत तक होगा।

(घ) वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय का निर्माण

5.4.1 विधिवत रूप से पूरा किए गए पारिवारिक स्वच्छता शौचालय में एक उपरी ढांचा सहित एक शौचालय इकाई होगी। इस कार्यक्रम का लक्ष्य सभी ग्रामीण परिवारों को शामिल करना है। योजना के तहत दिया जाने वाला वित्तीय प्रोत्साहन जो गरीबी रेखा से नीचे अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, छोटे तथा सीमांत किसानों, वासभूमि के साथ भूमिहीन मजदूरों, शारीरिक रूप से विकलांगों तथा महिला प्रमुख परिवारों को दिया जाता है, और विस्तर करके गरीबी रेखा के नीचे तथा गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले सभी परिवारों को दिया जा सकता है। पारिवारिक शौचालयों का निर्माण कार्य परिवार द्वारा खुद ही किया जाएगा और शौचालय बन जाने तथा इस्तेमाल शुरू हो जाने पर नकद वित्तीय प्रोत्साहन परिवार की उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए दिया जा सकता है।

5.4.2 वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय की एक इकाई के निर्माण के लिए गरीबी रेखा से नीचे के परिवार/निर्धारित एपीएल परिवार को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि 4600 रू. होगी (दुर्गम तथा पर्वतीय क्षेत्रों के लिए 5100 रू.)। इसमें केंद्रीय अंश 3200 रू. होगा (पर्वतीय एवं दुर्गम क्षेत्रों के लिए 3700रू.) तथा राज्य सरकार का अंश 1400रू. होगा। न्यूनतम लाभार्थी अंशदान नकद अथवा श्रम के रूप में 900 रू. होगा। राज्य सरकारों को यह छूट दी गई है कि वे चाहें तो स्वयं की निधियों से इसी इकाई लागत अथवा इससे अधिक इकाई लागत के आधार पर एक पारिवारिक शौचालय के लिए इससे अधिक प्रोत्साहन राशि दे सकती हैं। केन्द्रीय अथवा राज्य सहायता से बनाए गए सभी मकानों में

निरपवाद रूप से अभिन्न हिस्सों के रूप में उपयुक्त स्वच्छता सुविधा होनी चाहिए। फिर भी, इंदिरा आवास योजना अथवा किसी अन्य राज्य आवास योजना के तहत लाभार्थियों द्वारा बनाए गए सभी मकान, जिनमें शौचालय नहीं हैं, वे मकान भी निर्मल भारत अभियान के तहत लक्ष्य में रखे गए समूहों के अंतर्गत स्वच्छता सुविधाओं के निर्माण के लिए उपर्युक्तानुसार वित्तीय प्रोत्साहन के लिए पात्र होंगे।

5.4.3 उपर्युक्त वित्तीय प्रोत्साहन के अंतर्गत कवर न किए गए एपीएल परिवार प्रेरित होकर स्वयं ही पारिवारिक शौचालय बनावाना शुरू कर देंगे। आईईसी क्रियाकलापों में बिना किसी अपवाद के ग्राम पंचायत में सभी परिवारों को व्यापक रूप से शामिल किया जाएगा। ऐसे एपीएल परिवार जिनके पास नकद का अभाव हो, वे दिशानिर्देशों में किए गए निर्धारण के अनुसार परिक्रामी निधि से राषि प्राप्त कर सकते हैं।

5.4.4 ग्रामीण क्षेत्रों में बकेट शौचालय बनाने की अनुमति नहीं है। यदि कोई बकेट शौचालय हो, तो उसे स्वच्छ शौचालयों में तब्दील किया जाएगा तथा लक्ष्य में रखे गए लाभार्थियों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि की वित्तपोषण पद्धति वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों के निर्माण की तरह ही होगी।

5.4.5 टीएससी का एमजीएनआरईजीएस के साथ तालमेल बिठाने के संबंध में ग्रामीण विकास मंत्रालय की दिनांक 7.6.2012 की अधिसूचना संख्या जे. 11013/01/2011 एमजीएनआरइजीए (भाग VI) इस दिशा निर्देश के अनुबन्ध VI पर उपलब्ध है।

(ङ) ग्रामीण स्वच्छता बाजार और उत्पादन केंन्द्र

5.5.1 ग्रामीण स्वच्छता बाजार एक ऐसी दुकान है जिसमें स्वच्छ शौचालयों, सोख्ता तथा कंपोस्ट पिट्स, वर्मि–कंपोस्टिंग, धुलाई चबूतरों, प्रमाणित घरेलू जल शोधकों के निर्माण के लिए आवश्यक सामग्रियां हार्डवेयर और डिजाइन तथा आवश्यक अन्य स्वच्छता एवं साफ–सफाई संबंधी उपकरण उपलब्ध होते हैं। ग्रामीण स्वच्छता बाजारों में हर तरह के पैन (सिरॉमिक, मौजैक, एचडीपी, फाइबरग्लास) उपलब्ध होने चाहिए ताकि लाभार्भी अपनी पसंद के अनुसार पैन का चयन कर सकें। स्वच्छता बाजार में वह सामग्रियां अवश्य होनी चाहिए जो स्वच्छता पैकेज के हिस्से के रूप में आवश्यक हैं। यह एक व्यावसायिक उपक्रम है जिनका एक सामाजिक उद्देश्य है। ग्रामीण स्वच्छता बाजार बनाने का प्रमुख उद्देश्य अलग–अलग तरह का शौचालय बनाने के लिए आवश्यक सामग्रियां, सेवाएं तथा मार्गदर्शन उपलब्ध कराना तथा स्वच्छ पर्यावरण के लिए अन्य स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध कराना है। उत्पादन केंद्र स्थानीय स्तर पर किफायती स्वच्छता सामग्रियां बनाने के साधन हैं। वे स्वतंत्र हो सकते हैं अथवा ग्रामीण स्वच्छता बाजारों का एक हिस्सा हो सकते हैं।

5.5.2 उत्पादन केन्द्र/ग्रामीण स्वच्छता बाजार स्व–सहायता समूहों/महिला संगठनों/पंचायतों/गैर–सरकारी संगठनों इत्यादि द्वारा खोला और संचालित किया जा सकता है। कारगर आपूर्ति श्रृंखला बनाने के लिए निजी उद्यमियों की मदद भी ली जा सकती है।

5.5.3 डीडब्ल्यूएसएम/डीडब्ल्यूएससी को ग्रामीण स्वच्छता बाजारों/उत्पादन केन्द्रों के साथ एक समझौता ज्ञापन करना चाहिए और संयुक्त रूप में निगरानी करने की प्रणाली भी विकसित करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ग्रामीण स्वच्छता बाजार और उत्पादन केन्द्र, उत्पादन योजनाओं की आवश्यकता के अनुसार कार्य करते हैं। ग्रामीण स्वच्छता बाजार में उत्पादों की गुणवत्ता के प्रमाणन की एक पद्धति और प्रशिक्षित राजमिस्त्री तथा प्रेरकों का एक दल होना चाहिए।

5.5.4 खरीद की प्रत्येक सामग्री के लिए गुणवत्ता मानकों (जहां बीआईएस द्वारा अथवा पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया हो) का सख्ती से अनुपालन किया जाना चाहिए।

5.5.5 ग्रामीण स्वच्छता बाजार/उत्पादन केंद्र खोलने के लिए जिले के पास उपलब्ध परिक्रामी निधि से 3.5 लाख रूपये तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जा सकता है। यदि और अधिक स्वच्छता बाजारों की जरूरत हो, तो इस प्रयोजन के लिए परिक्रामी निधि से अधिकतम 35 लाख रूपये का इस्तेमाल किया जा सकता है। ग्रामीण स्वच्छता बाजार/उत्पादन केंद्र के लिए परिक्रामी निधि से दिए गए ऋण का भुगतान ऋण प्राप्त करने की तारीख से एक वर्ष के बाद 12 से 18 किस्तों में किया जाएगा।

(च) जिले में परिक्रामी निधि का प्रावधान

5.6.1 परिक्रामी निधि उन सहकारी समितियों अथवा स्व–सहायता समूहों को दी जा सकती है जिनकी विश्वसनीयता बनी हुई हो ताकि वे अपने सदस्यों को सस्ता वित्तपोषण उपलब्ध करा सकें। इस निधि से दिए गए ऋण का भुगतान 12 से 18 किस्तों में किया जाएगा। निर्मल भारत अभियान परियोजनाओं को परिक्रामी निधि स्वीकृत करने के लिए अन्य निबंधन और शर्तें निर्धारित करने की छूट होगी। यह परिक्रामी निधि उन एपीएल परिवारों द्वारा प्राप्त की जा सकती है जिन्हें दिशा–निर्देशों के तहत प्रोत्साहन राशि के लिए शामिल नहीं किया गया है। जिन मकान मालिकों के घरों में आंगनवाड़ी केन्द्र हैं, उन्हें भी बच्चों के अनुकूल शौचालय बनाने के लिए ऋण दिया जा सकता है बशर्ते आईसीडीएस प्राधिकारी मकान मालिक को दिए जाने वाले मकान किराए से ऋण का भुगतान करने के लिए सहमत हों। जिला परियोजना के 5 प्रतिशत जो कि अधिकतम 50 लाख रूपये तक होगा, का इस्तेमाल परिक्रामी निधि के रूप में किया जा सकता है। परिक्रामी निधि को केन्द्र और राज्य के बीच 80:20 के अनुपात में वहन किया जाता है।

(छ) सामुदायिक स्वच्छता परिसर

5.7.1 सामुदायिक स्वच्छता परिसर निर्मल भारत अभियान का एक अभिन्न घटक है। इन परिसरों, जिनमें उपयुक्त संख्या में शौचालय सीट, स्नान घर, कपड़े आदि धोने के लिए चबूतरा, वाशबेसिन इत्यादि शामिल हैं, को गांव में ऐसी जगह पर बनाया जा सकता है जो सभी लागों को स्वीकार्य हो तथा जहां सभी पहुंच सकें। सामान्यतौर पर, ऐसी परिसरें केवल तभी बनाई जाएंगी जब गांव में पारिवारिक शौचालयों के निर्माण के लिए जगह का अभाव हो और समुदाय इन परिसरों के परिचालन तथा रखरखाव की जिम्मेदारी ले। इसका मुख्य लक्ष्य अधिकतम वैयक्तिक

पारिवारिक शौचालयों का निर्माण करना है और सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण केवल तभी करना है, जब किसी कारण से वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय नहीं बनाए जा सकते है और समुदाय को "साफ–सफाई की आदतों "के बारे में बताना भी आवष्यक है। ऐसी परिसरों का रखरखाव बहुत आवश्यक है जिसके लिए ग्राम पंचायत को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। प्रयोक्ता परिवारों को इसकी साफ–सफाई और रखरखाव के लिए उपयुक्त मासिक प्रयोक्ता प्रभार देने के लिए कहा जा सकता है। सामुदायिक स्वच्छता परिसर बनाने के प्रस्ताव को राष्ट्रीय योजना मंजूरी समिति (एनएसएससी) द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। ऐसे परिसर उन सार्वजनिक स्थानों, बाजारों इत्यादि में भी बनाए जा सकते हैं जहां भारी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं। समुदाय परिसर का समुचित रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त रखरखाव दिशा–निर्देश किए जाने चाहिए।

5.7.2 सामुदायिक स्वच्छता परिसर के लिए निर्धारित अधिकतम इकाई लागत 2 लाख रूपये तक है। केन्द्र सरकार, राज्य सरकार तथा समुदाय के बीच हिस्सेदारी 60:30:10 के अनुपात में रहेगी। फिर भी, सामुदायिक अंशदान की पूर्ति पंचायत द्वारा अपने संसाधनों जो तेरहवें वित्त आयोग के अनुदानों अथवा इसके द्वारा विधिवत रूप से अनुमत राज्य की किसी अन्य निधि से की जा सकती है।

(ज) संस्थागत शौचालय

5.8.1 बच्चे, अभिभावकों को समुचित स्वच्छता की आदतें अपनाने के लिए प्रभावित करने का एक अच्छा माध्यम हो सकते हैं। बच्चे नए विचारों को जल्दी ग्रहण करते हैं। विद्यालय/आंगनवाड़ी प्रेरणा और शिक्षा के माध्यम से खुले में शौच करने की जगह शौचालय का इस्तेमाल करने के लिए बच्चों के व्यवहार, सोच तथा आदतों में बदलाव लाने के लए उपयुक्त संस्थाएं हैं।

विद्यालय शौचालय

5.8.2 सभी सरकारी स्कूलों में शौचालय बनाए जाने चाहिए। स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालयों पर जोर दिया जाना चाहिए। शौचालय ऐसा होना चाहिए कि विकलांग बच्चे उसका इस्तेमाल कर सकें। शौचालय इकाई में एक शौचालय और न्यूनतम दो मूत्रालय होते हैं। सभी सह–शिक्षा विद्यालयों में लड़कों तथा लड़कियों के लिए अलग–अलग षौचालय उपलब्ध होना चाहिए और प्रत्येक इकाई केन्द्रीय सहायता के लिए पात्र होगी। बनाई जाने वाली शौचालय इकाइयों की संख्या स्कूल आने वाले छात्रों की संख्या के अनुसार स्कूल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार, अभिभावक, शिक्षा संघ तथा पंचायतें निर्धारित राशि के अतिरिक्त अपने संसाधनों से अंशदान करने के लिए स्वतंत्र हैं।

5.8.3 स्कूलों में हार्डवेयर के सृजन के अलावा, यह अनिवार्य है कि बच्चों को साफ–सफाई के समस्त पहलुओं के संबंध में स्वास्थ्य शिक्षा दी जाती है। इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक स्कूल में कम से कम एक शिक्षक को स्वास्थ्य शिक्षा में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए जो बाद में साफ–सफाई की आदतों पर जोर देने वाले मनोरंजक क्रियाकलापों तथा सामुदायिक परियोजनाओं के माध्यम से बच्चों को प्रशिक्षित करेंगे। इस प्रयोजन में हुए व्यय की पूर्ति परियोजना के लिए निर्धारित की गई आईईसी निधि से की जा सकती है। जिला तथा पंचायत कार्यान्वयन एजेंसियां एसएसएचई के उद्देश्य अर्थात सभी बच्चों को सुरक्षित, स्वस्थ शैक्षिक वातावरण सुनिष्चित करने के लिए शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा अन्य भागीदारों के साथ अच्छा तालमेल स्थापित करेंगी।

5.8.4 केन्द्रीय सहायता 35,000 रू. प्रति इकाई की इकाई लागत (पर्वतीय तथा दुर्गम क्षेत्रों के मामले में 38,500 रू.) के लिए 70 प्रतिशत तक सीमित होगी। निर्मल भारत अभियान परियोजना में विद्यालय स्वच्छता के लिए वित्तपोषण केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा 70:30 के अनुपात में उपलब्ध कराया जाता है।

आंगनवाडी शौचालय

5.8.5 जीवन के आरंभकाल से ही बच्चों में शौचालय का इस्तेमाल करने की आदत डालने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि आंगनवाड़ियों का इस्तेमाल बच्चों और माताओं में व्यवहारिक बदलाव लाने के एक मंच के रूप में किया जाता है। इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक आंगनवाड़ी में बच्चों के अनुकूल शौचालय होने चाहिए। चूंकि निजी परिसरों में काफी संख्या में आंगनवाड़ी चलाए जाते हैं, इसलिए निम्न कार्यनीति अपनाई जानी चाहिए :

(क) सभी आंगनवाड़ियों, में जो सरकारी भवनों में हैं, उनमें निर्मल भारत अभियान निधि से बच्चों के अनुकूल शौचालय बनाए जाने चाहिए।

(ख) ऐसी आंगनवाड़ियों, जो निजी भवनों में है, उसमें भवन मालिक को डिजाइन के अनुसार शौचालय बनाने के लिए कहना चाहिए और उसे निर्माण की लागत को वसूलने के लिए भवन का किराया बढाने की अनुमति दी जानी चाहिए।

(ग) वैकल्पिक तौर पर, निर्मल भारत अभियान के तहत परिक्रामी निधि घटक से शौचालय बनाया जा सकता है और निश्चित समयावधि के भीतर लागत को वसूलने के लिए भवन मालिक को दिए जाने वाले मासिक किराए से उपयुक्त कटौती की जा सकती है।

5.8.6 ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक आंगनवाड़ी के लिए एक शौचालय की इकाई लागत 8,000 रू. तक होगी (पर्वतीय और दुर्गम क्षेत्रों के मामले में 10,000 रू.) भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता 5,600 रू. तक सीमित होगी (पर्वतीय तथा दुर्गम क्षेत्रों के मामले में 7,000 रू.)। अतिरिक्त व्यय की पूर्ति राज्य सरकार, पंचायतों द्वारा अथवा तेरहवें वित्त आयोग, एमपीएलडीएस, एमएलएएलएडीएस, एमजीएनआरईजीएस इत्यादि निधियों से की जा सकती है।

5.8.7 कुपोषण के मुद्दे को हल करने में मदद करने के लिए 200 उच्च संकेंद्रित कुपोषित जिलों में आंगनवाड़ी शौचालयों के निर्माण को प्राथमिकता दी जाएगी।

5.8.8 केन्द्र की आर्थिक मदद से बनाए गए सभी सरकारी भवनों में योजना के अभिन्न घटक के रूप में संबंधित योजनाओं के तहत उपयुक्त स्वच्छता सुविधाएं अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। इसे "निर्मल भारत "के लक्ष्य को हासिल करने के लिए अनिवार्य माना जाता है।

(झ) ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन

5.9.1 निर्मल भारत अभियान का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य जीवन स्तर में सुधार लाना है। ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन इसे हल करने का एक प्रमुख घटक है। ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन कार्य को परिवार की संख्या के आधार पर किसी ग्राम पंचायत के लिए निर्धारित वित्तीय सहायता से प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए परियोजना आधार पर शुरू किया जाना चाहिए ताकि सभी ग्राम पंचायतें स्थायी ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं को कार्यान्वित करने में समर्थ हो सकें। इस घटक के तहत कपोस्ट पिट, वर्मी कंपोस्टिंग, सार्वजनिक एवं निजी बायोगैस संयंत्र, कम लागत वाली निकासी, सीवेज चैनल/गड्ढा, अपशिष्ट जल का पुनः इस्तेमाल और संग्रहण प्रणाली, घरेलू कचरा को अलग–अलग करना तथा उसका निपटान करना इत्यादि जैसे क्रियाकलाप शुरू किये जा सकते हैं। परियोजनाओं को राज्य योजना मंजूरी समिति द्वारा अनुमोदित

किया जाना चाहिए। इस तरह की परियोजनाएं तैयार करने/ उनकी जॉच करने/उन्हें कार्यान्वित करने के लिए पेशेवर एजेंसियों/गैरसरकारी संगठनों की मदद मांगी जा सकती है। निर्मल स्थिति के लिए लक्ष्य में रखी गई निर्धारित ग्राम पंचायतों तथा जिन ग्राम पंचायतों ने निर्मल ग्राम पुरस्कार पहले ही हासिल कर लिया है, में परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन कार्य को एमजीएनआईजीएस इत्यादि जैसे अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों से निधियां लेकर भी कार्यान्वित किया जा सकता है।

5.9.2 निर्मल भारत अभियान के तहत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं के लिए कुल सहायता का निर्धारण प्रत्येक ग्राम पंचायत में परिवारों की कुल संख्या के आधार पर किया जाएगा जो कि 150 परिवार वाली ग्राम पंचायत के लिए अधिकतम 7 लाख रूपये, 300 परिवारों के लिए 12 लाख रूपये, 500 परिवारों के लिए 15 लाख रूपये होगी। निर्मल भारत अभियान के तहत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए वित्त–पोषण केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा 70:30 के अनुपात में उपलब्ध कराया जाएगा। किसी अतिरिक्त लागत की आवश्यकता की पूर्ति राज्य/ग्राम पंचायत की निधियों से की जाएगी।

(ञ) निर्मल भारत अभियान के तहत सृजित सुविधाओं का रखरखाव

5.10 सृजित स्वच्छता सुविधाओं की समुचित देखभाल तथा रखरखाव के लिए समुदाय, विशेषकर परिवार के सभी सदस्यों को प्रशिक्षित करना अनिवार्य है। आईईसी क्रियाकलापों में स्वच्छता सुविधाओं के रखरखाव के संबंध में समुदाय को जागरूक करने का काम शामिल होना चाहिए। वैयक्तिक पारिवारिक स्वच्छ शौचालयों के रखरखाव पर होने वाले खर्चे की पूर्ति परिवारों द्वारा की जानी चाहिए। सामुदायिक स्वच्छता परिसरों की रखरखाव लागत की पूर्ति प्रयोक्ता प्रभार इत्यादि जैसे उपयुक्त तंत्रों के माध्यम से की जानी चाहिए। संबंधित विभाग, विद्यालय/आंगनवाड़ी शौचालयों के रखरखाव के लिए पर्याप्त निधियां उपलब्ध कराएं। राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं/जिलों को उपलब्ध कराई गई कोई अन्य उपयुक्त निधियों का इस्तेमाल किया जाए।

(ट) प्रशासनिक प्रभार

5.11.1 प्रशासनिक प्रभारों में निर्मल भारत अभियान के निष्पादन के लिए अस्थायी आधार पर तैनात किए गए स्टाफ के वेतन, सहायक सेवाओं, ईंधन प्रभारों, किराए पर लिए गए वाहनों के प्रभारों, लेखन–सामग्री, निर्मल भारत अभियान परियोजना की निगरानी और मूल्याकंन पर खर्च की गई रकम शामिल होगी। फिर भी निर्मल भारत अभियान के कार्यान्वयन के लिए किसी भी स्थिति में कोई अतिरिक्त पद सृजित नहीं किए जाएंगे और न ही अलग से वाहन खरीदे जाएंगे। लेकिन परियोजना को पेशेवर तरीके से कार्यान्वित करने के लिए संचार, मानव संसाधन विकास, स्कूल स्वच्छता एवं स्वास्थ्य शिक्षा तथा निगरानी क्षेत्र से विशेषज्ञ/परामर्शदाता परियोजना अवधि के लिए बुलाए जाएंगे। परामर्शदाताओं की फीस का भुगतान प्रशासनिक प्रभारों से किया जाएगा। प्रति जिला उपकरणों के साथ एक कम्प्यूटर खरीदने की अनुमति होगी।

5.11.2 परियोजना के तहत निर्धारित किए जाने वाले प्रशासनिक घटक कुल जिला परियोजना परिव्यय के 4 प्रतिशत तक हो सकते हैं।

5.11.3 "प्रशासनिक व्यय "के तहत निम्न पदों पर व्यय विशेष रूप से प्रतिबंधित है :

- क. वाहनों की खरीद
- ख. भूमि और भवनों की खरीद
- ग. औपचारिक भवनों और विश्राम गृहों का निर्माण (इसमें निर्मल भारत अभियान परियोजनाओं के लिए आवश्यक शौचालय इकाइयां शामिल नहीं हैं)
- घ. कार्यालय उपकरण की खरीद
- ङ. किसी राजनीतिक दल और धार्मिक संगठनों पर व्यय
- च. उपहार और दान पर व्यय
- छ. सेल फोन की खरीद
- ज. प्रशासनिक व्यय की पूर्ति करने के लिए राज्य स्तरीय संस्थाओं को निधियों का अंतरण

6. राष्ट्रीय योजना स्वीकृति समिति

6.1 राज्य योजना मंजूरी समिति द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित परियोजना प्रस्ताव राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार से मिलने पर जिलों के लिए परियोजना प्रस्ताव अनुमोदित करने अथवा संशोधित करने के लिए निर्धारित समयावधि के लिए निर्मल भारत अभियान के तहत राष्ट्रीय योजना मंजूरी समिति गठित की जाएगी। राष्ट्रीय योजना मंजूरी समिति में सात सदस्य होंगे। राष्ट्रीय योजना मंजूरी समिति का गठन निम्नानुसार किया जाएगा :

1. सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय – अध्यक्ष
2. अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय
3. मंत्रालय द्वारा मनोनीत किए गए ग्रामीण स्वच्छता क्षेत्र के चार गैर सरकारी विशेषज्ञ
4. उस राज्य के ग्रामीण स्वच्छता के प्रभारी सचिव, जिसके प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा
5. प्राथमिक शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रभारी संयुक्त सचिव
6. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के प्रभारी संयुक्त सचिव
7. महिला एवं बाल विकास के प्रभारी संयुक्त सचिव
8. स्वच्छता, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के प्रभारी सचिव – सदस्य सचिव

7. कार्यान्वयन एजेंसियां

7.1 निर्मल भारत अभियान के कार्यान्वयन के लिए व्यापक पैमाने पर सामाजिक एकजुटता तथा निगरानी की आवश्यकता होगी। नीचे दिए गए अनुसार राज्य/जिला/ब्लॉक/ग्राम स्तर पर एक चार–स्तरीय कार्यान्वयन तंत्र बनाया जाना चाहिए :

7.2 राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (एसडब्ल्यूएसएम)

7.2.1 ग्रामीण पेयजल आपूर्ति, ग्रामीण स्वच्छता, विद्यालय शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, जल संसाधन, कृषि का काम देखने वाले राज्य के विभागों के बीच सहयोग एवं समन्वय स्थापित करने की दिशा में एक कदम के रूप में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में एक राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन बनाया जाना चाहिए। यह राज्य में ग्रामीण जल आपूर्ति एवं स्वच्छता कार्यक्रम कार्यान्वित करने वाले विभाग/बोर्ड/निगम/प्राधिकरण/एजेंसी के तत्वावधान में एक पंजीकृत सोसाइटी होगा।

7.2.2 एसडब्ल्यूएसएम की अध्यक्षता प्रमुख सचिव/अपर प्रमुख सचिव/विकास आयुक्त द्वारा की जाएगी और पीएचईडी, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, वित्त, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, जल संसाधन, कृषि, सूचना और जन संपक्र के प्रभारी सचिव सदस्य के रूप में शामिल होंगे। प्रमुख सचिव/राज्य में स्वच्छता/पेयजल का काम देखने वाले विभाग के सचिव सभी एसडब्ल्यूएसएम क्रियाकलापों के लिए तथा मिशन की बैठकें आयोजित करने के लिए जिम्मेदार नोडल सचिव होंगे। स्वच्छता, जल–विज्ञान, आईईसी, एचआरडी, एसआईएस, मीडिया, गैर–सरकारी संगठन इत्यादि क्षेत्र के विशेषज्ञों को सदस्यों के रूप में शामिल किया जा सकता है।

7.2.3 एसडब्ल्यूएसएम राज्य में परियोजना जिलों में निर्मल भारत अभियान के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करेगा, लाइन विभागों के बीच तालमेल तंत्र सुनिश्चित करेगा, जिलों द्वारा की गई प्रगति के अनुसार प्रत्येक जिले के लिए वार्षिक कार्यान्वयन योजना तैयार करेगा, विशिष्ट परियोजना जिलों के लिए निर्धारित केन्द्र से सहायता अनुदान प्राप्त करेगा और डीडब्ल्यूएसएम को वितरित करेगा। सभी परियोजनाओं को राज्य योजना मंजूरी समिति द्वारा अनुमोदित किया हुआ होना चाहिए। मिशन की बैठक छह महीने में कम से कम एक बार होनी चाहिए।

7.3 जल एवं स्वच्छता सहायता संगठन (डब्ल्यूएसएसओ)

7.3.1 सभी राज्यों, राज्य स्तर पर आईईसी, एचआरडी तथा निगरानी एवं मूल्याकंन का काम करने के लिए राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के तहत जल एवं स्वच्छता सहायता संगठन (डब्ल्यूएसएसओ) बनाएगा। राज्य के लिए संचार नीति की योजना डब्ल्यूएसएसओ द्वारा बनाई जाएगी और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उसकी नियमित निगरानी की

जानी चाहिए। उन राज्यों में, जहां जल आपूर्ति एवं स्वच्छता का काम दो अलग–अलग विभागों द्वारा देखा जाता है, वहां सीसीडीयू (स्वच्छता) को डब्ल्यूएसएसओ के साथ संबद्ध किया जाएगा। संचार, मानव संसाधन विकास तथा निगरानी और स्कूल स्वच्छता एवं स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्र के परामर्शदाताओं की सेवाएं ली जा सकती हैं।

7.4 जिला जल एवं स्वच्छता मिशन (डीडब्ल्यूएसएम)

7.4.1 जिला स्तर पर एक जिला जल एवं स्वच्छता मिशन बनाया जाएगा। लाइन विभाग कार्यान्वयन में उत्प्रेरक की भूमिका निभाएंगे। डीडब्ल्यूएसएम का संघटन निम्नानुसार होना चाहिए :

- डीडब्ल्यूएसएम की अध्यक्षता जिला परिषद के अध्यक्ष / जिला कलक्टर / उपायुक्त द्वारा की जाएगी।
- इसमें सदस्य होंगे जिले के सभी संसद सदस्य / विधान सभा सदस्य और विधान परिषद सदस्य तथा जिला परिषद की स्थायी समिति के अध्यक्ष अथवा उनके प्रतिनिधि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पंचायती राज, सामाजिक कल्याण, आईसीडीएस, पीएचईडी, जल संसाधन, कृषि, सूचना और जन संपक्र के जिला अधिकारी
- गैर–सरकारी संगठनों का निर्धारण डीडब्ल्यूएसएम द्वारा किया जाना चाहिए तथा मिशन में सदस्य के रूप में शामिल किया जाना चाहिए।
- पीएचईडी के कार्यकारी अभियंता / जिला परिषद के जिला अभियंता / एसडब्ल्यूएसएम द्वारा अनुमोदित कोई अन्य अधिकारी सदस्य सचिव होंगे
- मिशन की बैठक कम से कम हर तीसरे महीने होनी चाहिए।

डीडब्ल्यूएसएम को उपयुक्त आईईसी कार्यनीतियों और अन्य लाइन विभागों के साथ तालमेल तंत्र के साथ जिला निर्मल भारत अभियान परियोजना की आयोजना तथा कर्यान्वयन करना चाहिए। डीडब्ल्यूएसएम यह भी सुनिश्चित करेगा कि निर्मल भारत अभियान के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए ग्राम पंचायतों को निधियां मिल रही हैं। इसे कार्यक्रम कार्यान्वयन की समीक्षा तथा निगरानी करनी चाहिए ताकि जिला वार्षिक कार्ययोजनाओं का उद्देश्य हासिल किया जा सके और इसके परिणामस्वरूप स्थायी निर्मल ग्राम पंचायतें बन सकें।

7.5 ब्लॉक संसाधन केन्द्र (बीआरसी)

7.5.1 ग्राम पंचायतों में जल आपूर्ति एवं स्वच्छता की स्थिति के संबंध में मार्गदर्शन, सहायता देने और उसकी निगरानी करने के लिए ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता क्षेत्र में ब्लॉक पंचायतों की भूमिका को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। ब्लॉक पंचायत, ग्राम पंचायत अथवा ग्राम पंचायतों के समूह को सहायता देने के लिए आदर्श इकाई है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा दिनांक 24 अगस्त, 2010 को पत्र संख्या डब्ल्यू–11042 / 72 / 2009 के माध्यम से जारी किए गए दिशा–निर्देशों के अनुसार ब्लॉक संसाधन केंद्र बनाए जाएंगे। बीआरसी जागरूकता सृजन, प्रेरणा, एकजुटता, प्रशिक्षण और ग्रामीण समुदायों, ग्राम पंचायतों तथा वीडब्ल्यूएससी के सहयोग के मामले में मंत्रालय के कार्यक्रमों में सतत सहायता प्रदान करेगा। बीआरसी साफ्टवेयर सहायता मामले में डीडब्ल्यूएसएम की विस्तारित सुपुर्दगी तंत्र के रूप में सेवा करेगा और डीडब्ल्यूएसएम तथा ग्राम पंचायत / वीडब्ल्यूएससी / ग्रामीण समुदायों के बीच कड़ी के रूप में कार्य करेगा।

7.5.2 क्षमता निर्माण तथा स्वच्छता के विभिन्न पहलुओं के संबंध में ग्रामीण समुदाय को जागरूक बनाने का काम बीआरसी द्वारा किया जाएगा। यह ग्राम पंचायतों को निर्मल ग्राम की स्थिति हासिल करने, उसे बनाये रखने और वहां प्रभावी तथा किफायती ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था बनाने में भी मदद करेगा।

7.6 ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति

7.6.1 प्रेरणा, जागरूता, कार्यक्रम के कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण के मामले में सहायता करने के लिए ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत की उपसमिति के रूप में एक ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति गठित की जाएगी। ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति को निर्मल ग्रामों की व्यापक और संतृप्तीकरण नीति में महत्वूपर्ण भूमिका निभानी चाहिए।

8. पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका

8.1 73वां संविधान संशोधन 1992 के अनुसार, स्वच्छता को 11वीं अनुसूचित में शामिल किया गया है। तद्नुसार, निर्मल भारत अभियान के कार्यान्वयन में ग्राम पंचायतों की अहम भूमिका है। कार्यक्रम का कार्यान्वयन सभी स्तरों पर पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किया जाएगा। वे शौचालयों के निर्माणउरू के लिए सामाजिक जागरूकता पैदा करेंगी और अपशिष्टों के सुरक्षित निपटान के माध्यम से पर्यावरण को स्वच्छ भी बनाए रखेंगी। पंचायती राज संस्थाएं पारस्परिक आईईसी तथा प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त गैर सरकारी संगठनों की मदद ले सकती हैं। निर्मल भारत अभियान के तहत बनाए गए स्वच्छता परिसरों का रखरखाव पंचायतों/स्वैच्छिक संगठनों/परोपकारी न्यासों द्वारा किया जाएगा। पंचायतें निर्धारित राशि के अतिरिक्त विद्यालय स्वच्छता के लिए अपने संसाधनों से भी अंशदान दे सकती हैं। वे निर्मल भारत अभियान के तहत सृजित परिसंपतियों जैसे – सामुदायिक परिसरों, पर्यावरण घटकों, निकासी इत्यादि के संरक्षक के रूप में कार्य करेंगी। ग्राम पंचायतें उत्पादन केंद्र/ग्रामीण स्वच्छता बाजार भी खोल और संचालित कर सकती हैं।

8.2 ग्राम पंचायतें शौचालयों के नियमित इस्तेमाल, उनके रखरखाव तथा उन्नयन और स्वास्थ्य शिक्षा के लिए परस्पर चर्चा को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभा सकती हैं। वे पंचायतें और गैर सरकारी संगठन जो कार्यान्वयन में सबसे आगे हैं, उनकी यह सुनिश्चित करने में अहम भूमिका है कि निर्मल भारत अभियान के सभी घटकों अर्थात जल स्रोत और शौचालय के बीच दूरी निजी पारिवारिक शौचालय के लिए निर्धारित न्यूनतम दूरी का अनुपालन, विद्यालय और आंगनवाड़ी शौचालय तथा स्वच्छता परिसर, प्रदूषण को रोकने के लिए गड्ढे की गहराई, गड्ढे के संरेखण का नियमन, गड्ढे का भर जाना इत्यादि के संबंध में सुरक्षा मानकों को पूरा किया जाता है। यह बातें साफ–सफाई संबंधी प्रमुख आदतों जैसे हैंडपम्पों/जल स्रोतों के चारों और पर्यावरण को साफ और मानव तथा पशु मल से मुक्त रखना, पर भी लागू होती हैं। ग्राम पंचायतों को निर्मल भारत अभियान कार्यक्रम की निगरानी में भी भूमिका निभानी चाहिए। ब्लॉक स्तरीय तथा जिला स्तरीय – दोनों पंचायती राज संस्थाओं को संबंधित कर्मियों के साथ कार्यान्वयन की नियमित निगरानी करनी चाहिए।

9. गैर सरकारी संगठनों की भूमिका

9.1 ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मल भारत अभियान के कार्यान्वयन में गैर सरकारी संगठनों की उत्प्रेरक की भूमिका है। उन्हें आईईसी क्रियाकलापों तथा क्षमता निर्माण में सक्रिय रूप से शामिल होना चाहिए जिससे स्वच्छता सुविधाओं के निर्माण और उनके इस्तेमाल की मांग पैदा हो। गैर सरकारी संगठनों को बेसलाइन सर्वेक्षण तथा पीआरए में भी शामिल किया जा सकता है, ताकि स्वच्छता, साफ–सफाई, जल के इस्तेमाल, परिचालन एवं रखरखाव इत्यादि के संबंध में प्रमुख व्यवहार तथा ज्ञान का विशेष रूप से निर्धारण किया जा सके। गैर सरकारी संगठन उत्पादन केंद्र तथा स्वच्छता बाजार भी खोल और संचालित कर सकते हैं। गैर सरकारी संगठनों का निर्धारण एक पारदर्शी मानदण्ड अपनाकर किया जाएगा।

10. निगमित निकायों की भूमिका

10.1 कारपोरेट घरानों को कारपोरेट सोशल रेसिपॉसिंबिलिटी के अनिवार्य हिस्से के रूप में निर्मल भारत अभियान में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यह मान्यता है कि एक स्वस्थ कार्यबल अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बेहतर कार्य कर सकता है बशर्ते इसकी जानकारी उन्हें पहले से हो। अपने उत्पादों अथवा सेवाओं के विपणन से ख्याती प्राप्त करने अथवा केवल प्रतिष्ठा के मुद्दे भी कारपोरेट घरानों को सामाजिक कार्य करने और लोगों के साथ मेल मिलाप बढ़ाने के लिए आकर्षित करते हैं। इस तरह, निर्मल भारत अभियान कारपोरेट घरानों को अपने सीएसआर को हल करने में मदद करने वाले मंच के रूप में काम कर सकता है।

10.2 कारपोरेट घराने आईईसी, एचआरडी के माध्यम से अथवा निम्न प्रत्यक्ष लक्षित पहलों के माध्यम से स्वच्छता के मुद्दों को उठा सकते हैं :–

क. ग्रामीण क्षेत्रों के अपने कर्मचारियों को इस्तेमाल करने और उसका प्रदर्शन करने के लिए कार्यस्थल पर ग्रामीणों के अनुकूल उपयुक्त स्वच्छता सुविधा मुहैया कराकर।

ख. ग्रामीण आबादी को एनबीए के तहत उपलब्ध विभिन्न प्रौद्योगिकी विकल्पों के प्रदर्शन के लिए प्रदर्शन की जगह/ग्रामीण स्वच्छता पाक्र की स्थापना करके।

ग. प्रदर्शनी/स्वच्छता बाजार लगाकर

घ. समुचित स्वच्छता एवं साफ–सफाई के बारे में बच्चों को आवश्यक जानकारी देकर।

ङ. उपयुक्त स्वच्छता सामग्रियों के रूप में ग्रामीण परिवारों को अतिरिक्त प्रोत्साहन देकर अथवा उपयुक्त स्थानीय संगठन के माध्यम से ग्रामीण आबादी के लिए उपयुक्त संगत स्वच्छता सुविधाएं सृजित करके।

च. बाजार अथवा अन्य सार्वजनिक स्थानों/कार्यस्थालों के चारों ओर सामुदायिक षौचालय परिसर उपलब्ध कराकर।

छ. प्रभावी ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रौद्योगिकी तथा संसाधनों में सहायता देकर।

ज. स्वच्छता सुविधाओं के रखरखाव और/अथवा एसएलडब्ल्यूएम की स्थापना के लिए प्रशिक्षित श्रमिक उपलब्ध कराकर।

झ. ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता सुविधाओं के लिए उपयुक्त स्थानीय प्रौद्योगिकी विकल्पों के लिए अनुकूल अनुसंधान कार्य करके।

ञ. मास मीडिया के माध्यम से कार्यक्रम का प्रचार–प्रसार करके।

ट. बसावटों/ग्रामों/ग्राम पंचायतों को निर्मल ग्राम बनाने के लिए गोद लेकर।

11. परियोजना का वित्तपोषण

11.1 एनबीए का घटकवार निर्धारिण तथा वित्तपोषण पद्धति

क्र. स.	घटक	एनबीए परियोजना परिव्यय के प्रतिशत के रूप में निर्धारित राशि	अंशदान में हिस्सा		
			भारत सरकार	राज्य	लाभार्थी परिवार/समुदाय
क.	आईईसी, आरंभिक क्रियाकलाप तथा क्षमता निर्माण	15% तक	80%	20%	0%
ख.	परिक्रामी निधि	5% तक	80%	20%	0%
ग.	(i) वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय	पूर्ण कवरेज के लिए अपेक्षित वास्तविक राशि	3200 रू. (पर्वतीय तथा दुर्गम क्षेत्रों के मामले में 3700 रू.)	1400 रू.	900 रू.
	(ii) सामुदायिक षौचालय परिसर	पूर्ण कवरेज के लिए अपेक्षित वास्तविक राशि	60%	30%	10%
घ.	विद्यालय तथा आंगनवाड़ी स्वच्छता सहित संस्थागत शौचालय	पूर्ण कवरेज के लिए अपेक्षित वास्तविक राशि	70%	30%	0%
च.	प्रशासनिक प्रभार	4% तक	80%	20%	0%
छ.	ठोस/तरल अपशिष्ट प्रबंधन (पूंजीगत लागत)	अनुमेय सीमा के भीतर एसएलडब्ल्यूएम परियोजना लागत के अनुसार वास्तविक राशि	70%	30%	0%

12. वार्षिक कार्यान्वयन योजना (आईएपी)

12.1 वार्षिक कार्यान्वयन योजना (आईएपी) का मुख्य उद्देश्य निर्मल ग्रामों के सृजन हेतु कार्यक्रमों को एक निश्चित दिशा प्रदान करना है। सुनिश्चित गतिविधियों की तुलना में वित्तीय वर्ष के दौरान वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति की मासिक और तिमाही निगरानी के लिए आधार उपलब्ध कराना भी अपेक्षित है। आईएपी में निम्नलिखित शामिल होने चाहिए :

क) वार्षिक कार्यान्वयन योजना के उद्देश्यों की तुलना में पिछले वर्ष की तुलना में पिछले वर्ष के दौरान निर्मल भारत अभियान (एनबीए) के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए राज्यों द्वारा की गई प्रगति पर रिपोर्ट

ख) भिन्नता के कारण और टिप्पणियॉं, यदि कोई हों

ग) प्रस्तावित वित्तीय वर्ष के लिए निर्मल भारत अभियान (एनबीए) के प्रत्येक घटक के अतर्गत वास्तविक और वित्तीय अनुमानों के साथ गतिविधियों की योजना

घ) मासिक / तिमाही संबंधी अनुमानित लक्ष्य

ड.) सफलता की कहानियों, सर्वोत्तकृष्ट कार्यों, शुरू की गई अभिनव पहलों, प्रयोग की गई नई प्रौद्योगिकियों पर विस्तार से लिखना।

12.2 वार्षिक कार्यान्वयन योजना (एआईपी) को परियोजना गतिविधियां प्राप्त करने के लिए समर्पित होने वाली ग्राम पंचायतों का निर्धारण करके तैयार किया जाना चाहिए। इन ग्राम पंचायत योजनाओं को ब्लाक कार्यान्वयन योजनाओं तथा उसके बाद जिला कार्यान्वयन योजनाओं में समेकित किया जाना चाहिए। राज्य जल और स्वच्छता मिशन उपयुक्त रूप से जिला कर्यान्वयन योजनाओं को राज्य कार्यान्वयन योजना के रूप में समेकित करेगा।

12.3 राज्य / संघ राज्य क्षेत्र एआईपी तैयार करेंगे और उसे शेष कार्यों को पूरा किये जाने के आधार पर वित्तीय वर्ष की शुरूआत में अन्तिम रूप देने के लिए पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय की योजना अनुमोदन समिति (पीएसी) को प्रस्तुत करेंगे।

12.4 प्रस्तावित वार्षिक कार्यान्वयन योजनाओं पर पीएसी में विचार–विमर्श किया जाएगा और संशोधनों के साथ अथवा बगैर संशोधनों के उन्हें अंतिम रूप दिया जाएगा। अंतिम रूप दिए गए एआईपी को निधियों के वित्तीय आवंटन के आधार पर राज्यों द्वारा तैयार किया जाएगा और उन्हें पीएसी में विचार विमर्श के एक पखवाड़े के भीतर केन्द्र सरकार को अग्रेषित किया जाएगा तथा उसे ऑनलाइन निगरानी प्रणाली के माध्यम से वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। पीएसी की सिफारिश केवल उसी वित्तीय वर्ष अर्थात एक वित्तीय वर्ष के लिए वैध होगी।

12.5 एआईपी निर्धारित ग्राम पंचायतों के आधार पर व्यापक स्वच्छता और जल कवरेज को दर्शाते हुए संतृप्तीकरण दृष्टिकोण का अनुकरण करके तैयार की जानी चाहिए जो वर्ष के दौरान अथवा आगामी वर्षों में "निर्मल "स्थिति का निर्माण कर सकें। ग्राम पंचायतों को इस ढंग से सूचीबद्ध किया जाना चाहिए जिससे एक ब्लॉक / जिला में सभी ग्राम पंचायतें तेजी से कवर की जा सकें ताकि राज्य को "निर्मल "बनाया जा सके। एआईपी बजट बनाते समय एनबीए के लागत मानदंडों का अनुकरण किया जाना चाहिए तथा वर्ष के दौरान केन्द्रीय अंशदान की वित्तीय मांग पर विचार करने हेतु उसका संकलन किया जाना चाहिए।

13. निधियों की रिलीज

13.1 केन्द्र से राज्य स्तरीय कार्यान्वयन निकाय को रिलीज

13.1.1 निर्मल भारत अभियान (एनबीए) के अंतर्गत निधियां राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन को जारी की जाएंगी। राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (एसडब्ल्यूएसएम) किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा राज्य सरकार द्वारा अधिकृत बैंक में एक बचत बैंक खाते का संचालन करेगा जिसके माध्यम से राज्य सरकार की निधियां केंद्रीय अंशदान, राज्य अंशदान, लाभार्थी अंशदान अथवा किसी भी अन्य प्राप्ति सहित निर्मल भारत अभियान से संबंधित सभी लेनदेनों के लिए संचालित की जाएंगी। एनबीए बैंक खाते का ब्यौरा बैंक के नाम, आईएफएससी कोड तथा खाता संख्या सहित पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय को भेजना पड़ेगा तथा इसमें पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय की पूर्व अनुमति के बगैर परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। कार्यक्रम के अंतर्गत निधियां भारत सरकार द्वारा अनुरक्षित **केन्द्रीय योजना स्कीम निगरानी प्रणाली (सीपीएसएमएस)** के जरिए जारी की जाएंगी।

13.1.2 एआईपी बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार राज्यों की अनुमोदित मांग और निधियों की उपलब्धता के आधार पर, संबंधित राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन को दो किस्तों में निधियों की रिलीज करने हेतु सभी राज्यों के आवंटन की गणना की जाएगी। ऐसे सभी मामलों में, जिनमें पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान दूसरी किस्त बिना शर्त जारी कर दी गई है, वे राज्य वित्तीय वर्ष के दौरान प्रथम किस्त रिलीज करने के पात्र होंगे। अन्य राज्य आवंटन की केवल 25 प्रतिशत राशि ही रिलीज करने के पात्र होंगे। अधिशेष निधियों / दूसरी किस्त रिलीज करने के लिए पिछली रिलीज की सभी शर्तों को पूरा करना होगा।

13.1.3 एआईपी में यथा अनुमोदित निधियों की दूसरी किस्त निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने पर ही जारी की जाएगी:

- जिलावार वास्तविक और वित्तीय प्रगति रिपोर्टों के साथ राज्य सरकार की रिफारिश पर राज्य / संघ शासित प्रदेश से विशेष प्रस्ताव की प्राप्ति;
- अनुबंध–I (Annexure-I) के अनुसार वार्षिक कार्य निष्पादन रिपोर्ट;

- एआईपी में निर्दिष्ट लक्ष्यों की तुलना में मासिक/तिमाही प्रगति की उपलब्धियों का विवरण;
- केंद्रीय अनुसंधान की रिलीज के 15 दिनों के भीतर एसडब्ल्यूएसएम खाते में आनुपातिक राज्य अंशदान की रिलीज हेतु राज्य की वचनबद्धता;
- एसडब्ल्यूएसएम में उपलब्ध निधियों की 60 प्रतिशत राशि का उपयोग अर्थात अथशेष, वर्ष के दौरान एनबीए के अंतर्गत अनुदान मांगों की प्रथम किस्त के रूप में रिलीज की गई निधियां तथा उन पर अर्जित ब्याज, केन्द्रीय और राज्य अंशदान अलग से;
- अनुबंध–II (Annexure-II) के अनुसार पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लेखों के लेखापरीक्षित विवरणों का प्रस्तुतीकरण;
- पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए एसडब्ल्यूएसएम के सदस्य सचिव द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित अनुबंध–III (Annexure-III) के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में केंद्र और राज्य अंशदान के उपयोग प्रमाणपत्रों का अलग से प्रस्तुतीकरण;
- कोई अन्य शर्त (शर्तें) जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर निर्दिष्ट किया जाए;

13.1.4 प्रथम किस्त में जारी की गई निधि पीएसी में अनुमोदित राशि की 50 प्रतिशत होगी तथा उसे राज्य को पिछले वर्ष जारी रिलीज के 10 प्रतिशत के अलावा अथशेष राशि द्वारा कम कर दिया जाएगा।

13.1.5 वित्तीय वर्ष के दौरान निधियों की आगे कोई भी रिलीज व्यय, उपलब्ध निधियों और आवश्यक दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण जैसाकि पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा अपेक्षित हो, में हुई प्रगति पर आधारित होगी।

13.2 राज्य स्तर से जिला स्तर को रिलीज

13.2.1 राज्य/संघशासित प्रदेश केन्द्रीय अनुदान प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर जिला कार्यान्वयन एजेंसी/एजेंसियों को समान राज्य अंशदान के साथ–साथ प्राप्त केंद्रीय अनुदानों को रिलीज करेंगे।

13.2.2 जिला कार्यान्वयन एजेंसी को निधियां प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर ग्राम पंचायत (राज्य में ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति जहाँ ग्राम पंचायतें अस्तित्व में नहीं है) को कार्यों के लिए निधियों का अंतरण करना अपेक्षित है।

14. निर्मल भारत अभियान (एनबीए) के अंतर्गत जारी निधियों पर अर्जित ब्याज

14.1 निर्मल भारत अभियान निधियॉं (केंद्र और राज्य) बैंक खाते में ही रखी जानी चाहिए। इस खाते में पारिवारिक/लाभार्थी अंशदान को जमा करने की आवश्यकता नहीं है। एनबीए निधियों पर अर्जित ब्याज राशि को एनबीए संसाधन के भाग के रूप में समझा जाएगा। जिला कार्यान्वयन एजेंसी को अनुवर्ती किस्तों के लिए दावे/दावों के साथ साथ एनबीए निधियों पर अर्जित ब्याज के उपयोग का ब्यौरा प्रस्तुत करना होगा तथा इसे उपयोग प्रमाणपत्र में दर्शाया जाना चाहिए।

15. निरीक्षण

15.1 कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य स्तर और जिला स्तरों से अधिकारियों द्वारा नियमित फील्ड निरीक्षकों के जरिए निगरानी करना अनिवार्य है। ये निरीक्षण यह जॉच करने और सुनिश्चित करने के लिए किये जाने चाहिए कि निर्माण कार्य मानदंडों के अनुसार किया गया है, निर्माण में समुदाय को शामिल किया गया है तथा शौचालयों से जल स्रोत प्रदूषित नहीं हो रहे हैं तथा यह भी जॉच करने कि क्या लाभार्थियों का सही चयन किया गया है और निर्माण के बाद शौचालयों का उचित प्रयोग किया जा रहा है। इस प्रकार के निरीक्षण में यह सुनिश्चित किया जाए कि स्वच्छता शौचालयों का किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं किया जा रहा है। निरीक्षण यह जॉच करने के लिए भी किया जाना चाहिए कि क्या एक ग्राम पंचायत की निर्मल भारत अभियान की सूचना ग्राम पंचायत में (दीवार पर पेंटिंग करके अथवा विशेष होर्डिंग्स के द्वारा) पारदर्शी रूप से प्रदर्शित कर दी गई है। परियोजना प्राधिकारियों को जिले में विशेषज्ञों के एक दल का गठन करना चाहिए जो विभिन्न ब्लाकों में कार्यान्वयन की बार–बार समीक्षा करेंगे। ऐसी समीक्षा तिमाही में कम से कम एक बार की जानी चाहिए। इसी प्रकार राज्य सरकार को प्रत्येक जिले में परियोजनाओं की आवधिक रूप से समीक्षा करनी चाहिए और इस प्रयोजन के लिए उन्हें राज्य में उपलब्ध विशेषज्ञों के

एक पैनल का गठन करना चाहिए। इसके अलावा, भारत सरकार कार्यान्वयन की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए राज्यों में आवधिक रूप से अपने समीक्षा मिशन भेजेगी।

16. राज्य समीक्षा मिशन

16.1 चूंकि निर्मल भारत अभियान का विस्तार पर्याप्त रूप से किया गया है अतः यह आवश्यक है कि राज्य सरकार स्तर पर समीक्षा मिशन की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाए। राज्य समीक्षा मिशन का अध्यक्ष राज्य के सयुंक्त सचिव स्तर का अधिकारी होगा जिसमें अन्य लिंक विभागों जैसे कि ग्रामीण विकास, महिला एवं बाल विकास, पंचायती राज और मानव संसाधन विकास विभाग के कम से कम तीन सदस्य तथा स्वच्छता के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त संगठनों से स्वतंत्र प्रतिनिधि शामिल होंगे। राज्यों को सलाह दी गई है कि वे विभिन्न एनबीए जिलों की आवधिक रूप से समीक्षा करने के लिए राज्य स्तर पर विशेषज्ञों का एक पैनल गठित करें। राज्य समीक्षा मिशनों की रिपोर्टों के आधार पर, यदि राज्य सरकार अनुवर्ती किस्त रिलीज करने के लिए सहमत है तो निधियाँ जारी करने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाना चाहिए। निधियाँ जारी करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय, राज्य सरकार द्वारा समीक्षा मिशन रिपोर्ट की एक प्रति भी संलग्न की जानी चाहिए।

17. सामाजिक लेखा परीक्षा

17.1 भूमिका

17.1.1 मंत्रालय की वेबसाइट (www.ddws.nic.in, tsc.nic.in) में कार्यक्रम का निर्माण, लागू करने और परिणाम के बारे में व्यापक सूचना और आंकड़े दिये गए हैं। सामाजिक संकेतकों पर किसी अन्य संगत आकंड़ों (डाटा) के साथ–साथ इस आंकड़े का सामाजिक लेखा परीक्षा के लिए प्रयोग किया जा सकता है।

17.1.2 निर्मल भारत अभियान सतत और व्यापक जन सतक्रता के साधनों के रूप में "सामाजिक लेखा परीक्षा" की केंद्रीय भूमिका आदा करेगा। ग्राम पंचायतें प्रत्येक महीने एक "स्वच्छता दिवस"(सेनिटेशन डे) का अयोजन करेंगी और "ग्राम स्वच्छता सभा"(विलेज सेनिटेशन असेम्बली) की आवधिक सभाओं का भी आयोजन करेंगी। इसका एनबीए के कार्यान्वयन में पारदर्शिता, भागीदारी, परामर्श और सहमति, जिम्मेवारी एवं शिकायत निवारण के साधनों के रूप में उपयोग किया जाएगा।

17.2 स्वच्छता दिवस

17.2.1 प्रत्येक ग्राम पंचायत निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ महीने के किसी विशेष दिवस को "स्वच्छता दिवस "(सेनिटेशन डे) के रूप में निर्धारित करेगी:

- स्वच्छता दिवस के पिछले महीने में बड़ी संख्या में निर्मित शौचालयों और आईईसी, एचआरडी तथा एसएलडब्ल्यूएम आदि के अंतर्गत शुरू किये गए कार्यों की उपलब्धियों को रिकार्ड करना।
- मांग आधारित वैयक्तिक स्वच्छता सुविधा का निर्धारण करना तथा अन्य उन कार्यों की पहचान करना जिन्हें एनबीए के अंतर्गत शुरू किया जा सके।
- ग्राम पंचायत में आईएचएचएल, विद्यालय और आंगनवाड़ी शौचालयों तथा स्वच्छता परिसरों के निर्माण, शुरू की गई आईईसी गतिविधियों, प्रशिक्षण आदि के लिए मासिक योजना तैयार करना।
- वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों (आईएचएचएल) के अंतर्गत निचली श्रेणी में लौट आई बसावटों के मामलों और कुल मिलाकर खुले में शौच मुक्त समुदाय का निर्माण करने संबंधी मुद्दे का समाधान करने के लिए कार्यनीति तैयार करना।
- प्रोत्साहन राशि का संवितरण, निर्माण और अन्य कार्यों एवं गतिविधियों सहित पिछले महीने में विभिन्न गतिविधियों पर किए गए व्यय का निर्धारण करना।
- कार्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित किए जाने वाले अन्य कार्यों को कार्यान्वित करना।

17.2.2 सूचना और विचारों का पूर्णतः खुलासा करने संबंधी व्यापक प्रावधान के साथ "स्वच्छता दिवस " संबंधी कार्यवाही सार्वजनिक खुले मैदान में आयोजित की जाएगी।

17.2.3 यह प्रक्रिया परियोजना की सार्वजनिक सतर्कता का भाग होगी और जिसके द्वारा शुरू की गई वास्तविक एवं वित्तीय गतिविधियों, मासिक योजना दस्तावेजों और उसके अंतर्गत की गई प्रगति से संबंधित दस्तावेजों की जॉच पड़ताल की जाएगी।

17.2.4 मासिक योजना के अंतर्गत उद्‌देश्यों की उपलब्धियों से व्यतिक्रम के विभिन्न कारण हो सकते हैं। इन कारणों के निवारण अथवा समाधान के संभावित साधनोपायों के साथ–साथ सकारात्मक और नकारात्मक कारणों को वर्गीकृत करने वाले कारणों की एक संकेतात्मक सूची की स्वच्छता दिवस में विचार–विमर्शों के दौरान जॉच की जाएगी।

17.3 ग्राम स्वच्छता सभा (जीएसएस)

17.3.1 विभिन्न मासिक योजनाओं के अंतर्गत की गई प्रगति तथा ग्राम पंचायत (जीपी) में आयोजित किए गए स्वच्छता दिवस की कार्यवाहियों की अनिवार्य रूप से समीक्षा करने के लिए सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा प्रत्येक 6 महीनों में "ग्राम स्वच्छता सभा "के रूप में ग्राम सभा का अयोजन किया जाएगा। इन मंचों पर, ग्राम पंचायत के सचिव द्वारा तैयार की गई जानकारी को समुदाय के किसी जिम्मेवार व्यक्ति अधिमानतः विद्यालय के एक अध्यापक/भूतपूर्व सैनिक द्वारा पढ़वाया जाएगा और उसे सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जाएगा तथा लोगों को अधिकारियों से प्रश्न पूछने, सूचना मांगने और प्राप्त करने, वित्तीय व्यय का सत्यापन करने, लाभार्थियों की सूची की जॉच करने, पसंद के कायों में प्रतिबिम्बित प्राथमिकताओं पर चर्चा करने तथा कार्यक्रम कर्मियों के कार्यों की गुणवत्ता और कार्यक्रम कर्मियों की सेवाओं का विवेचनात्मक रूप से मूल्याकंन करने का अवसर प्रदान किया जाएगा।

17.3.2 ग्राम पंचायत यह सुनिश्चित करेगी कि जीएसएस की तारीख से पहले निम्नलिखित तैयारी संबंधी कार्य किए जाऐंगे :–

(i) जीएसएस की तारीख, समय, स्थान, कार्यसूची के विवरण का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए ताकि अधितम भागीदारी सुनिश्चित हो सके। अधिमानतः निर्दिष्ट वार्षिक अनुसूची के साथ जीएसएस की तारीख संबंधी अग्रिम नोटिस गांव और ग्राम सभा भवन में सार्वजनिक स्थानों पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जना चाहिए।

(ii) प्रचार प्रसार के दोनों पारम्परिक तरीकों (जैसे कि ढ़ोल बजाकर (मुनादी करके) लोगों को सूचित करना), संचार के आधुनिक साधनों (जैसे कि चलते फिरते लाउडस्पीकरों अथवा जनता को संबोधित करने संबंधी पद्धति के माध्यम से घोषणाएं) का प्रयोग शुरू किया जा सकता है

(iii) एक अभियान के तरीके से इनकी लेखापरीक्षा करना ताकि अपेक्षित दस्तावेज तैयार करने सहित संस्थागत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सम्पूर्ण प्रशासन को अनुकूल बनाया जा सके।

(iv) उपलब्ध सूचना के सारांश को अग्रिम में तैयार किया जाना चाहिए ताकि इसे अधिक बोधगम्य बनाया जा सके। इन सारांशों को अग्रिम में जनता को उपलब्ध कराया जाना चाहिए और जीएसएस के दौरान जोर–जोर से पढ़ना चाहिए।

(v) किए गए कार्यों की पूर्ण फाईलों सहित, सभी संगत दस्तावेज अथवा उनकी प्रतिलिपियॉ जीएसएस के कम से कम 15 दिन पहले अग्रिम में ग्राम पंचायत कार्यालय में निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इस अवधि के दौरान ग्राम पंचायत के सभी निवासियों के लिए ये दस्तावेज निःशुल्क तथा आसानी से उपलब्ध होने चाहिए तथा निरीक्षण के लिए कोई भी शुल्क वसूला नहीं जाना चाहिए। इस अवधि के दौरान, दस्तावेजों की प्रतियॉ अनुरोध किए जाने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर मांग करने पर, लागत मूल्य पर उपलब्ध करायी जानी चाहिए।

(vi) मूल दस्तावेजों को जीएसएस दिवस पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए ताकि किसी भी सूचना की हर तरह से जॉच की जा सके।

17.3.3 जीएसएस की कार्रवाई निम्नलिखित तरीके से की जानी चाहिए :

1. कार्रवाई का आयोजन पारदर्शी ढंग से किया जाना चाहिए जिसमें सबसे निर्धन और सीमान्त व्यक्ति आत्मविश्वास और निडर होकर भाग ले सकें तथा बोल सके। इस बात की भी सावधानी रखी जानी चाहिए कि सभा में निहित स्वार्थियों द्वारा छलकपट न किया जाए। जीएसएस का समय ऐसा होना

चाहिए जिससे सभी वर्गों के लोगों विशेषकर महिलाओं और सीमान्त समुदायों के लिए सभा में भाग लेना सुविधा जनक हो। जीएसएस को एक ऐसे व्यक्ति का चयन करना चाहिए जो इसकी बैठकों की अध्यक्षता कर सके और सचिव के रूप में वह व्यक्ति पंचायत अथवा अन्य कार्यान्वयन एजेंसी का भाग नहीं होना चाहिए अर्थात वह व्यक्ति सेवारत अथवा सेवानिवृत विद्यालय अध्यापक/भूतपूर्व सैनिक/गैर सरकारी संगठन/सीबीओ का प्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता आदि होना चाहिए। बैठक की अध्यक्षता पंचायत अथवा वार्ड पंचायत के अध्यक्ष द्वारा नहीं की जानी चाहिए।

2. सूचना देने वाला व्यक्ति वह व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो कार्य के कार्यान्वयन में सम्बद्ध हो। उदाहरण के लिए सतक्रता समिति के सदस्यों अथवा एक विद्यालय अध्यापक अथवा भूतपूर्व सैनिक पर अपेक्षित फार्मेट के अनुसार जानकारी को जोर–जोर से पढ़ने के प्रयोजन के लिए विचार किया जा सकता है।
3. ग्राम स्वच्छता सभा के सदस्यों द्वारा की गई पूछताछ का उत्तर देने के लिए कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी सभी कर्मियों का जीएसएस में उपस्थित रहना अपेक्षित होना चाहिए।
4. निर्णयों तथा संकल्पों को वोट द्वारा बनाया जाना चाहिए लेकिन असहमत विचारों को दर्ज किया जाना चाहिए।
5. बैठक का कार्यवृत ग्राम पंचायत (जीपी) के सचिव द्वारा बाह्य कार्यान्वयन एजेंसी से निर्धारित व्यक्ति विशेष द्वारा रिकार्ड किया जाना चाहिए तथा कार्यवृत्त के रजिस्टर में बैठक की शुरूआत और समापन पर (कार्यवृत्त के लिखे जाने के बाद) हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।
6. अनिवार्य कार्यसूची (नीचे दी गई) की जॉच सूची की पारदर्शिता सहित जॉच की जानी चाहिए।
7. आपत्तियॉ, यदि कोई हों, निर्धारित फार्मेट के अनुसार रिकार्ड की जानी चाहिए।
8. पिछली जीएसएस से संबंधित "की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट "प्रत्येक जीएसएस के आरंभ में पढ़ी जानी चाहिए।
9. इन जीएसएस की रिपोर्टें और कार्यवृत आवश्यक कार्रवाई हेतु एक माह के अन्दर डीडब्ल्यूएसएम/जिला कलेक्टर को प्रस्तुत की जानी चाहिए।
10. जिला जल एवं स्वच्छता मिशन (डीडब्ल्यूएसएम)/जिला कलेक्टर यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेवार हो कि अनुसूची के अनुसार सामाजिक लेखा परीक्षा यथा समय होती है।
11. जिला कलेक्टर नियमित रूप से इस बात की समीक्षा करेगा कि सामाजिक लेखा परीक्षा का कार्य किया जा रहा है।

17.3.4 अनिवार्य कार्यसूची में निम्नलिखित प्रश्न/मुद्दे शामिल किए जाने चाहिए :

- क्या परियोजना में परिभाषित उद्देश्यों में प्रत्येक परिवार सहित सम्पूर्ण ग्राम पंचायत (जीपी) को शामिल किया गया है।
- क्या स्वच्छता की मासिक योजनाओं को पारदर्शी तरीके से तैयार किया गया था?
- क्या निर्धारित लाभार्थी ने आईएचएचएल के निर्माण और प्रयोग पर प्रोत्साहन प्राप्त किया था?
- क्या निर्धारित लाभार्थियों की सूची को ग्राम सभा के सत्यापन हेतु पढ़ा गया था?
- स्वच्छता सुविधाओं के प्रावधान के लिए एपीएल सहित शेष परिवारों के कवरेज हेतु प्रयास?
- खुले में शौच मुक्त वातावरण/ निर्मल स्थिति प्राप्त करने के लिए कार्रवाई योजना।

18. परियोजना में संशोधन

18.1. आशा है कि आधारभूत सर्वेक्षण करने के बाद विभिन्न प्रकार के हार्डवेयर की सही आवश्यकता में परिवर्तन हो सकता है जिससे परियोजना में संशोधन होना अनिवार्य होगा। इसके अलावा, वित्तपोषण संबंधी मानदण्डों में परिवर्तन होने के कारण संशोधन करना अपेक्षित होगा। निर्मल भारत अभियान परियोजना में अपेक्षित संशोधन करने वाले प्रत्येक जिला को संशोधित परियोजना प्रस्ताव तैयार करना चाहिए। परियोजना प्रस्ताव में आधारभूत सर्वेक्षण रिपोर्ट,

जिलों से संबंधित उपलब्ध अद्यतन जनगणना संबंधी आंकड़े तथा अन्य सर्वेक्षण जिसका परियोजना प्रस्ताव के संशोधन विषयक समर्थन में उल्लेख किया गया है।

18.2 किसी भी परियोजना में संशोधन करने का प्रयास ग्राम पंचायत में बसावटों/ग्रामों की संख्या सहित ग्राम पंचायत–वार ऑकड़ों, निर्मल भारत अभियान (एनबीए) के अंतर्गत निर्धारित श्रेणियों के बारे में प्रत्येक बसावट में आबादी परिवारों की संख्या, शौचालय के साथ परिवारों/संस्थाओं के कवरेज, विद्यालयों, आंगनवाड़ियों की संख्या और प्रत्येक श्रेणी के शेष परिवारों की संख्या, ग्राम पंचायत की सामान्य आर्थिक स्थिति पर नोट, हाट, मेला और अन्य जन समूहों तथा समारोहों आदि के सामान्य सामुदायिक संघटन संगठनों के आधार पर किया जाना चाहिए।

18.3 प्रस्ताव की शुरूआत ग्राम पंचायत से होनी चाहिए, संकलन ब्लाक स्तर पर तथा उसके बाद जिला स्तर पर डीडब्ल्यूएसएम/डीडब्ल्यूसी द्वारा, जैसा भी लागू हो, किया जाना चाहिए। डीडब्ल्यूएसएम/डीडब्ल्यूएससी प्रस्ताव के एसडब्ल्यूएसएम को भेजेगा। एसडब्ल्यूएसएम संबंधित मंत्रालय में राज्य सरकार के समक्ष मामले को प्रस्तुत करवाएगा।

18.4 प्रत्येक राज्य में ग्रामीण स्वच्छता विषयक मामले को देखने वाला संबंधित मंत्रालय एक राज्य योजना स्वीकृति समिति (एसएसएससी) का गठन करेगा जिसमें अध्यक्ष के रूप में संबंधित विभाग का सचिव स्तर का एक अधिकारी, उप–सचिव स्तर के अधिकारी/पेयजल आपूर्ति, विद्यालय शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, सामुदायिक स्वास्थ्य (राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन), गरीबी उन्मूलन/रोजगार कार्यक्रम (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना), तथा किसी अन्य राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रमों का कार्य देख रहे राज्य समन्वयक सदस्य के रूप में शामिल होंगे।

18.5 संबंधित विभाग द्वारा निर्मल भारत अभियान (एनबीए) में संशोधन करने का प्रस्ताव एसएसएससी के समक्ष रखा जाएगा। एसएसएससी द्वारा इसको अनुमोदित करने के बाद, एसएसएससी बैठक के कार्यवृत सहित प्रस्ताव तथा जनगणना/सर्वेक्षण रिपोर्टों जैसे अन्य संगत दस्तावेजों/रिपोर्टों को राज्य के संबंधित विभाग द्वारा पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार को अग्रेषित किया जाएगा।

18.6 पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय परियोजना प्रस्ताव की उपयुक्त रूप से जॉच करेगा और इसके परिशोधन के लिए उसे राष्ट्रीय योजना स्वीकृति समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा। परियोजना में प्रस्ताव पर विचार करने वाली एनएसएससी की बैठक के कार्यवृत के अनुसार संशोधित करना होगा।

19. रिपोर्टें

19.1 पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने निर्मल भारत अभियान (एनबीए) के लिए एक ऑन लाइन निगरानी प्रणाली विकसित की है। सभी एनबीए जिलों को इस ऑन लाइन साफ्टवेयर के जरिए वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्टें प्रस्तुत करना होता है। जिसके लिए यूजर आईडी तथा पासवर्ड सृजित किया जाता है एवं पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय – एनआईसी प्रकोष्ठ द्वारा संचालित किया जाता है। हार्ड कापी में प्रगति रिपोर्टों को हतोत्साहित किया जाता है। तथापि, वार्षिक कार्यनिष्पादन रिपोर्ट पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय को प्रस्तुत करनी होती है जिसका ब्यौरा अनुबंध–I (Annexure–I) में दिया गया है।

19.2 एनबीए रिपोर्टों का मूल्यांकन सभी स्तरों पर किया जाना चाहिए। ब्लॉक पंचायती राज संस्था और ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रगति की समीक्षा करनी चाहिए। जिला पंचायत के सीईओ/डीडब्ल्यूएससी के सचिव को मासिक आधार पर ब्लॉक अधिकारियों के साथ परियोजना की प्रगति की समीक्षा करना चाहिए। इसी प्रकार राज्य में ग्राम स्वच्छता के प्रभारी सचिव को तिमाही आधार पर जिला अधिकारियों के साथ प्रगति की समीक्षा करनी चाहिए।

20. मूल्यांकन

20.1 राज्यों/संघशासित प्रदेशों को एनबीए के कार्यान्वयन पर आवधिक कार्यान्वयन अध्ययन करने चाहिए। मूल्यांकन अध्ययन ख्याति प्राप्त संस्थाओं और संगठनों द्वारा आयोजित कराए जाने चाहिए। राज्यों/संघशासित

प्रदेशों द्वारा आयोजित किए गए इन मूल्याकंन अध्ययनों की रिपोर्टों की प्रतियॉ भारत सरकार को भेजी जानी चाहिए। इन मूल्यांकन अध्ययनों में की गई टिप्पणियों तथा भारत सरकार द्वारा अथवा उनकी ओर से कराए गए समवरूवर्ती मूल्याकंन के आधार पर भी राज्यों/संघशासित प्रदेशों द्वारा उपचारी कार्रवाई की जानी चाहिए। ऐसे अध्ययनों की लागत एनबीए के प्रशासनिक प्रभार घटक से वसूली जा सकती है।

20.2 राज्य (राज्यों) में एनबीए समूह के लिए भारत सरकार द्वारा कार्यान्वयन प्रगति समीक्षा/अध्ययन भी शुरू/आयोजित किया जा सकता है। अधिकारियों/कर्मियों का एक बहु–एजेंसी दल का विशिष्ट विचारार्थ विषयों की समीक्षा करने के लिए गठन किया जाएगा।

21. अनुसंधान

21.1 स्वच्छता क्षेत्रों में प्रमाणित ट्रैक रिकार्ड वाले अनुसंधान संस्थानों, सगठनों और गैर–सरकारी संगठनों तथा स्वास्थ्य, स्वास्थ्य विज्ञान, जल आपूर्ति और स्वच्छता के मुद्दों से संबंधित अनुसंधान/अध्ययनों में कार्यरत राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय संस्थाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में मानव मल–मूत्र और अपशिष्ट निपटान प्रणालियों की मौजूदा पद्धतियों के अध्ययन में सम्बद्ध किया जाना चाहिए। अनुसंधान/अध्ययन के परिणामों से प्रौद्योगिकी का उन्नयन करने, विभिन्न जियो–हाइड्रोलोजीकल स्थितियों की आवश्यकता के अनुरूप इसे अधिक वहनीय और पर्यावरणीय रूप से सुरक्षित बनाने में मदद मिलेगी। इससे अपशिष्टों के निपटान के लिए पारस्थितिकीय रूप से स्थायी दीर्घकालिक समाधान को प्रोत्साहन और बढ़ावा मिलेगा। शौचालय डिजाइन भिन्न–भिन्न मृदा परिस्थितियों के अनुरूप समुचित प्रौद्योगिकी, उच्च जल स्तर स्थितियों, बाढ़, जल सुरक्षा स्थितियों, समुद्र तटीय क्षेत्रों के अनुसंधान/अध्ययन को प्राथमिकता दी जाएगी। अशोधित अपशिष्ट के माध्यम से अपशिष्ट की ढुलाई और जल निकायों के प्रदूषण पर आने वाली अधिक लागत से बचने के लिए पारिस्थितिकीय स्वच्छता/स्थल पर पर अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा दिया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा एक स्वतः स्पष्ट प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर भी, एनएसएससी अनुसंधान परियोजनाओं को स्वीकृत कर सकता है और भारत सरकार द्वारा विशेष रूप से इस प्रयोजन के लिए निर्धारित अनुसंधान एवं विकास निधि से निधियॉ उपलबध कराई जाएंगी।

22. वार्षिक लेखा परीक्षा

22.1 राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (एसडब्ल्यूएसएम) यह सुनिश्चित करेगा कि लेखों की लेखापरीक्षा भारत सरकार की सामान्य वित्तीय नियमावली के अनुसार वित्तीय वर्ष के समाप्त होने की 6 महीनें की अवधि के भीतर सीएजी द्वारा अनुमोदित पैनल से चयनित सनदी लेखाकार द्वारा कराई गई है और यह लेखा परीक्षा लेखों का विवरण मंत्रालय को प्रस्तुत करेगा।

23. परियोजना का समापन

23.1 जब एक जिला में परियोजना पूरी तरह से पूर्ण हो जाती है तब जिला स्तर पर कार्यान्वयन एजेंसी पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार को राज्य सरकार के माध्यम से लेखों के लेखापरीक्षा विवरणों और उपयोग प्रमाणपत्र के साथ एक समापन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

23.2 भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार और जिला कार्यान्वयन एजेंसी को समापन रिपोर्ट की स्वीकृत अथवा अन्यथा स्थिति के बारे में सूचित किया जाएगा। परियोजना जिलों में एनबीए परियोजना को पूरा करने में लिया गया समय अभियान के प्रभावी कार्यान्वयन पर स्पष्ट रूप से निर्भर करेगा। तथापि, परियोजना को पूरा करने में सभी प्रयास एक समयबद्ध ढंग से किये जाने चाहिए। भारत सरकार द्वारा औचक परियोजना पश्चात मूल्यांकन शुरू किये जाएंगे। इस प्रयोजन के लिए राज्य ऐसे मूल्यांकन करने और भारत सरकार की मदद प्राप्त करने के लिए भी पहल कर सकते हैं।

अनुबंध (ANNEXURES)

Annexure -	I.	वार्षिक कार्य निष्पादन रिपोर्ट
Annexure -	II.	निर्मल भारत अभियान के लिए समेकित लेखा परीक्षा रिपोर्ट
Annexure -	III.	उपयोग प्रमाणपत्र
Annexure -	IV.	निधियों की रिलीज के प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए जॉच सूची
Annexure -	V.	बेसलाइन सर्वेक्षण में ग्राम पंचायतों (जीपीएस) से एकत्रित की जाने वाली अपेक्षित जानकारी
Annexure -	VI.	भारत सरकार के आदेश और अधिसूचनाएॅं
Annexure -	VII.	संदर्भ हेतु भारत सरकार के प्रकाशन

ANNEXURE – I

NIRMAL BHARAT ABHIYAN

ANNUAL PERFORMANCE REPORT

Report ending 31st March 20___

State/UT: ___________________

A. Physical Performance (District wise position enclosed):

Components	Project Aim	Cumulative Performance	Percentage Achievement
Individual Household Latrines - BPL			
Individual Household Latrines - APL			
Sanitary complex			
Toilets for schools			
Toilets for Balwadi/Anganwadi			
Rural Sanitary Mart			
Production Centers			

B. Special Provisions (District wise position enclosed):

Category	Project Aim	Cumulative Performance	Percentage Achievement
Household latrines for SCs			
Household Latrines for STs			
Household Latrines for Physically Handicapped			

C. Financial Performance (District wise position enclosed):

	Item	Amount (Lakh Rupees)
1	**Receipts**	
a	Opening Balance as on first day of the year	
b	Central Releases during the year	
c	State Releases during the year	
d	Household / Panchayat contribution during the year	
e	Interest accrued during the year	
f	Total availability of funds (a + b + c + d + e)	

2	**Expenditure**	
a	From Central Share	
b	From State Share	
c	From Interest / Household / Panchayat contribution	
d	Total Expenditure (a + b + c)	
e	Percentage of expenditure to total availability of funds	

Signature of State Secretary

Name:

Office seal

[Note: document to be signed on each page]

ANNEXURE – II

AUDIT REPORT

(Consolidated Audit Report for NBA)

Containing following points (documents) :-

1. **Auditor's Report**
2. **Receipt & Payment Account.**
3. **Income & Expenditure Account**
4. **Balance sheet**
5. **Notes Forming Part of Accounts (Reporting about physical output)**
6. **Auditor's observations as 'Annexure'**

(in case of any observation, reply countersigned by Chartered Accountant is required)

Signature________________________ .
Name in full______________________
Office Stamp of competent authority of SWSM

Dated__________________

N.B: All the documents should be in original & countersigned by Competent Authority of SWSM with official stamp.

ANNEXURE – II (A)

AUDITOR'S REPORT

To

The State Water and Sanitation Mission
Address

We have audited the attached 'Balance Sheet' of State Water and Sanitation Mission ('the Grantee') "Account – Nirmal Bharat Abhiyan (NBA)" as on March 31, 20** and also the 'Income and Expenditure Account' and 'Receipts and Payment Account' for the year ended on that date annexed thereto. These financial statements are the responsibility of the Grantee's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. We conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. Those Standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

3. Further to our comments in the Annexure referred to above, we report that:

I. We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit;

ii. In our opinion, proper books of account as required, have been kept by the Grantee so far as it appears from our examination of those books;

iii. The balance sheet, income and expenditure account and receipts and payment account dealt with by this report are in agreement with the books of account;

iv. In our opinion, and to the best of our knowledge and according to the explanations given to us and subject to our observations annexed herewith we report that :

a. The Balance Sheet, gives a true and correct view of the state and affairs of the Grantee "Account - Nirmal Bharat Abhiyan (NBA)" as on 31.3.201*.

b. The Income and Expenditure Account gives a true and correct view of excess of income over expenditure for the period ended 31.03.201*.

c. The receipts and Payment Account gives a true and correct view of the transactions under the programme/scheme for the period ended on 31.03.201*.

v. Expenditure reported in the Income and Expenditure account is properly reflected in the Utilization Certificate(s) for the same period.

Signature of Chartered Accountant with Seal)
Name in full____________________
Membership No.____________
CAG Empanelment No. & Year
Contact No.
E-mail ID:

ANNEXURE – II (B)

Audit Report for the year 201*-1*
State Water and Sanitation Mission __________

Receipt & Payment Accounts for the period 1st April, 201* to 31st March, 201*

Name of the scheme- Nirmal Bharat Abhiyan (NBA)

(₹ in lakh)

Receipt	Amount	Payment	Amount
1. Opening Balance (i) Cash in Hand (ii) Cash at Bank (iii) Deposits at Division/Districts etc. 2. Receipt of Grants (i) Central Government (ii) State Government (iii) Others 3. Interest received from Banks (i) SWSM level (ii) DWSM/DWSC level (iii) Others 4. Refund of Advance/ Loan/Grant from (i) Implementing Agencies (ii) Any other agencies etc. 5.Miscellaneous		1. Advances given to (i) Implementing Agencies (ii) Any other agencies etc. 2. Expenditure incurred for the purpose of approved work undertaken under Nirmal Bharat Abhiyan (NBA): i) IHHL ii) Sanitary Complex iii) School Toilets iv) Toilets for Anganwadi v) SLWM vi) IEC etc. 3. Audit Fees 4. Expenses on Administration a. Training b. Staff support services c. Monitoring and Evaluation d. Printing and Stationery e. Bank Charges f. Rent and Taxes 5. Miscellaneous Expenses etc. 6. Closing Balance (i) Cash in Hand (ii) Cash at Bank (iii) Deposits at Division/Districts etc.	

Signature of Competent Authority
Name in full
Office seal
Contact No.
E-mail ID:

(Signature of Chartered Accountant with Seal)
Name in full______________________
Membership No.______________
CAG Empanelment No. & Year
Contact No.
E-mail ID:

ANNEXURE – II (C)

Audit Report for the year 201*-1*
State Water and Sanitation Mission ________

Income & Expenditure Accounts for the period 1st April, 201* to 31st March, 201*

Name of the scheme- Nirmal Bharat Abhiyan (NBA)

(₹ in lakh)

Expenditure	Amount	Income	Amount
1.Expenditure incurred for the purpose of approved work undertaken under Nirmal Bharat Abhiyan (NBA): i. IHHL ii. Sanitary Complex iii. School Toilets iv. Toilets for Anganwadi i. SLWM ii. IEC etc. 2. Audit Fees 3. Expenses on Administration a. Training b. Staff support services c. Monitoring and Evaluation d. Printing and Stationery e. Bank Charges f. Rent and Taxes 4. Miscellaneous Expenses etc. 5. **Excess of Income over Expenditure carried over to Balance Sheet.**		1.Grants -in -Aid/Subsidy received From (a) Central Govt. (b) State Govt. (c) Other Agencies 2. Interest received during the year from the Bank Accounts - Received during the year - Add: Accrued during the year - Less: related to previous year 3. Refund of unutilized grants by the Implementing Agencies 4. Miscellaneous Receipts 5. **Excess Expenditure carried over to Balance sheet.**	

Signature of Competent Authority
Name in full
Office seal
Contact No.
E-mail ID:

(Signature of Chartered Accountant with Seal)
Name in full________________
Membership No.__________
CAG Empanelment No. & Year
Contact No.
E-mail ID:

ANNEXURE – II (D)

Audit Report for the year 201*-1*
State Water and Sanitation Mission ________
Balance Sheet as on 31st March, 201*

Name of the scheme - Nirmal Bharat Abhiyan (NBA)

(₹ in lakh)

CAPITAL FUND AND LIABILITIES	Previous Year Amount	Current Year Amount
Accumulated Fund Opening Balance Add/Deduct Balance Transferred From Income & Expenditure Account **Current Liabilities** (i) Outstanding Expenses/Payables (ii) Any other Liability		
Total		
ASSETS		
Fixed Assets (i) Vehicles (ii) Furniture & fixtures (iii) Office Equipment (iv) Computers & Peripherals (v) Others etc. **Current Assets & advances** (i) Stock (ii) Temporary Transfer of Funds to other schemes recoverable (iii) Closing Balance (a) Cash in Hand (b) Cash at Bank (c) Account Receivables and Advances recoverable (i) Implementing Agencies (ii) Other Agencies (iii) Staff (iv) Suppliers etc.		
Total		

Signature of Competent Authority
Name in full
Office seal
Contact No.
E-mail ID:

(Signature of Chartered Accountant with Seal)
Name in full____________________
Membership No.____________
CAG Empanelment No. & Year
Contact No.
E-mail ID:

ANNEXURE – II (E)

Notes Forming part of the Accounts:

Physical Output under Nirmal Bharat Abhiyan (NBA) for the utilized funds as reported in the Income and Expenditure Account:

Components	Performance/Number of Units constructed
I. Individual Household Latrines – BPL/APL II. Sanitary complex III. School toilet units IV. Anganwadi Toilets V. Solid and Liquid Waste Management (SLWM) VI. Rural Sanitary Mart VII. Production Centers	

Signature of Competent Authority
Name in full
Office seal
Contact No.
E-mail ID

(Signature of Chartered Accountant with Seal)
Name in full______________________
Membership No._____________
CAG Empanelment No. & Year
Contact No.
E-mail ID

ANNEXURE – II (F)

Nirmal Bharat Abhiyan (NBA)
YEAR 201*-1*

AUDITOR'S OBSERVATIONS

NAME OF THE ORGANISATION RECEIVING GRANTS :

SL.NO.	ISSUES	OBSERVATIONS OF THE AUDITOR
1	Opening Balance & Closing Balance of the Receipts and Payments account tallies with that of Cash Book.	
2	Opening Balance adopted tallies with Closing Balance of the last year	
3	Whether grantee or other implementing agencies have diverted / inter-transferred funds from one scheme to another Central Scheme or State funded Scheme during the period in contravention to the existing guidelines? If so details thereof.	
4	Are there any mis-utilisation / unrelated expenditure and mis-appropriation of funds by the grantee or other implementing agencies during the year? If so details thereof.	
5	There is only prescribed number of bank accounts for the scheme	
6	There does not exist any minus balance at any stage during the year.	
7	Where the Sanction Order of the Ministry specifies certain conditions at the time of release of funds, whether the same has been fulfilled.	
8	Scheme funds are being kept only in savings account	

9	Interest earned has been added to the scheme fund	
10	Whether interest money is being utilized strictly for the programme purposes as laid down in the existing guidelines	
11	State share, as per programme guidelines, for the year has been received during the year	
12	All receipts / refunds have been correctly accounted for and remitted in to the Bank account of the scheme	
13	Scheme funds are not being kept in the State Treasury	
14	Bank Reconciliation is being done regularly	
15	Name and address of the previous Auditor.	

Signature of Competent Authority
Name in full
Office seal
Contact No.
E-mail ID:

(Signature of Chartered Accountant with Seal)
Name in full______________________
Membership No._____________
CAG Empanelment No. & Year
Contact No.
E-mail ID

ANNEXURE – III

Utilization Certificate

State Water and Sanitation Mission (Name of State)

NIRMAL BHARAT ABHIYAN

(Central Share / State Share)

Reference No. : **Date:**

Sl. No.	Letter No. and date	Amount	
			Certified that out of Rs. ……………. of grants - in-aid sanctioned during the year ……….. in favour of **State Water and Sanitation Mission (Name of State)** vide Ministry of Drinking Water And Sanitation, Government of India Letter No. given in the margin and Rs…………. on account of unspent balance with the **District Water and Sanitation Missions (as per list attached)** of the previous year, a sum of Rs. …………. has been utilized by the **District Water and Sanitation Missions (as per list attached)** for the purpose of approved work undertaken under Nirmal Bharat Abhiyan, for which it was sanctioned and that the balance of Rs…….. remaining unitilized with the **District Water and Sanitation Missions (as per list attached)** at the end of the year shall be carried forward to the next year for implementation of the programme.

2. **Physical Output for the above utilized funds**

Components	Performance/Number of Units constructed
Individual Household Latrines - BPL	
Individual Household Latrines - APL	
Sanitary complex	
Schools Toilet Units	
Anganwadi Toilets	
Rural Sanitary Mart	
Production Centres	

Contd.…

3. Certified that I have satisfied myself that the conditions on which the grants-in-aid was sanctioned have been duly fulfilled / are being fulfilled and that I have exercised the following checks to see that the money was actually utilized for the purpose for which it was sanctioned.

Kinds of checks exercised

1. Audited Statement of Accounts of SWSM
2. Audited Statement of Accounts of DWSMs
3. Previous Utilisation Certificates
4. Physical Verification Reports
5. Review Mission Reports
6. *Any other document/check*

Countersigned by Member Secretary (SWSM)

Signature ……………………………….
Name …………………………………….
Designation …………………………….
(Chairman SWSM)
Date ……………………………………..

(affix official seal)

ANNEXURE – IV

NIRMAL BHARAT ABHIYAN (N BA)

CHECKLIST for submitting proposal for Release of funds under NBA

S.No.	Documents	Whether enclosed/fulfilled (Please tick)	
1.	Utilization Certificates in original for previous year separately for a) Central funds	Yes	No
	b) State funds	yes	No
2.	a) Utilization Certificates has file reference	Yes	No
	b) Signed by Chairman and Member Secretary (SWSM)	Yes	No
	c) Countersigned by the Principal Secretary/ Secretary of the concerned Department	Yes	No
	d) With official Seal	Yes	No
	e) Name, Designation, contact number, e-mail IDs of the signatories	Yes	No
3.	Certificate to the effect that the districts have utilized 60% of total available resources.	Yes	No
4.	Audit Report/ Audited Statement of Accounts as per prescribed format for the previous year has been submitted.	Yes	No
5.	If audited by Chartered Accountant, he is a CAG empanelled Chartered Accountant	Yes	No
6.	Copy of the letter issued by O/o CAG has been furnished in support of empanelment	Yes	No
7.	The figures in UCs are in agreement with Audit Report a) Grants	Yes	No
	b) Expenditure	Yes	No
	c) Opening/ Closing Balance	Yes	No
8.	If not, clarifications have been given for the variations	Yes	No
9.	Action taken Report on the observations made by the Auditor in the Audit Report after getting it vetted by the Auditor has been furnished.	Yes	No
10.	The State matching share has been released.	Yes	No
11.	Review Mission Report from all districts have been received by State	Yes	No

ANNEXURE – V

NIRMAL BHARAT ABHIYAN (NBA)

Information required to be collected from the Gram Panchayats (GPs) in the Base Line Survey for the proposed NBA Project

1. Brief description of GP including general outlook, physical facilities, general economic status and occupation ,availability of water, status of NGOs, and other support organisations , Self Help Groups ,health and education personnel and infrastructure etc.
2. Total number of Households (HHs) in GP
   (a) BPL
   (b) APL
      (i) SCs/STs
      (ii) Small and marginal farmers
      (iii) Landless labourers with homestead
      (iv) Physically handicapped
      (v) Women headed households
      (vi) Others
3. No. of HHs having toilets in each of the above category
   (a) No. of HHs having functional toilets
   (b) No. of HHs having defunct toilets
   (c)No. of HHs NOT having toilets in each of the above category
4. No. of Government / Government aided Schools in the GP
   (a) No. of Schools having adequate toilets
   (b) No. of Schools not having adequate toilets
   (c) Number of School toilet units required to be constructed in each of schools
5. No. of Anganwadi Centres in the GP
   (a) No. of Anganwadi Centres in Government Building with toilets
   (b) No. of Anganwadi Centres in private/rented Building
   (c) Number of Anganwadi toilets required to be constructed in Anganwadi Centres in Government Building
6. Provision/availability of water supply for toilets
7. Availability of water sources in the GP
   (a) Open Well
   (b) Handpump
   (c) Stand post
   (a) HH connection
   (b) Other sources
8. Availability and Status of Solid and Liquid Waste Management facilities
9. (Descriptive)

Annexure-VI

भारत शासन के आदेश एवं अधिसूचनाएं

क्रमांक	संदर्भ
1.	टी.एस.सी. का निर्मल भारत अभियान में परिवर्तन संबंधी आदेश क्रमांक W-11013/5/2012-CRSP दिनांक 13.06.2012
2.	ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा महात्मा गांधी नरेगा के निर्मल भारत अभियान के स्वच्छता कार्यों के तालमेल संबंधी आदेश क्रमांक J.11017/41/2011-मिनरेगा (पार्ट IV) दिनांक 07.06.2012
3.	एन.आर.एच.एम. के साथ स्वच्छता कार्यों के लिये आशा कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन संबंधी अर्धशासकार्य पत्र क्रमांक W.11042/7/2007-CRSP-पार्ट दिनांक 18.05.2012
4.	इंदिरा आवास योजना के साथ समन्वय बाबत पत्र क्रमांक VJ-11012/2/2006-RH दिनांक 18.05.2011
5.	महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से समन्वय बाबत पत्र क्रमांक W-11042/4/04-CRSP पार्ट दिनांक 16.07.2012

No.W.11013/5/2012-CRSP
Government of India
Ministry of Drinking Water and Sanitation

12th Floor, Paryavaran Bhawan
CGO Complex, Lodhi Road
New Delhi-110003
Dated: 13.06.2012

To

The Principal Secretary / Secretary / Administrators
(In-charge Rural Sanitation)
All States/UTs

Subject: Continuance of Total Sanitation Campaign (TSC) renamed as Nirmal Bharat Abhiyan (NBA) in the XII Five Year Plan – regarding.
Reference : CCEA approval vide no. CCEA/11/2012(i) dated 12.06.12

Efforts of the State Governments for promoting rural sanitation were supplemented till 1999 by the Central Government under the centrally sponsored Rural Sanitation Programme (CRSP) and thereafter under Total Sanitation Campaign (TSC) till the end of the XI Five Year Plan. The Cabinet Committee on Economic Affairs in its meeting held on 7.6.2012 has approved the continuance of the Rural Sanitation Programme in the XII Five Year Plan. The details of the approval are as under:

(i) Re-name Total Sanitation Campaign (TSC) as Nirmal Bharat Abhiyan (NBA) in XII Plan.
(ii) Provide increased incentive amount to cover support for IHHL for both BPL and APL. APL beneficiaries to be restricted to SCs/STs, small and marginal farmers, landless labourers with homestead, physically handicapped and women headed households.
(iii) a) Raise Central Share of incentive from Rs. 2200.00 to Rs. 3200.00
b) Raise State Government share of incentive from Rs. 1000.00 to Rs.1400.00
c) Additional provision of Rs. 500 for hilly and difficult areas to continue
d) Raise minimum beneficiary contribution from Rs.300.00 to Rs. 900.00
e) Convergence with MNREGS wherever possible with appropriate use of provisions.
f) The provision for State Governments to allow the flexibility to provide higher incentive for a household toilet from their own funds as at present to be continued.
g) Recast the component of Solid and Liquid Waste management (SLWM) to project mode for each Gram Panchayat (GP) with financial assistance capped for a GP on number of household basis to enable all Panchayats to implement sustainable SLWM projects. A cap of Rs. 7/12/15/20 lakh to be applicable for Gram Panchayats having up to 150/300/500/ more than 500 households on a Centre and State/GP sharing ratio of 70:30. Projects to be prioritized in identified GPs targeted for Nirmal status and those that have already been awarded Nirmal Gram Puraskar (NGP). Any additional cost requirement to be met from the State/GP.
h) Capacity Building component to be a part of IEC which is up to 15 per cent of the project outlay and 2 per cent of that to be earmarked for Capacity Building.
i) Administrative component to be reduced to up to 4 per cent of the project outlay, as against the present provision of up to 5 per cent.
j) Prioritise construction of Anganwadi toilets in government buildings in 200 high focused districts to assist in tackling the issue of malnutrition.

k) All government buildings constructed with financial support of the Centre to have appropriate sanitation facilities as an integral part.
l) The date of implementation for the revised proposals to be with effect from 01.04.2012.
m) There is no change in the other components.

The detailed guidelines in terms of the above approval of the CCEA are being finalized and shall be issued separately. The incentives/ financial assistance in the meantime stand revised in terms of the approval with effect from 1.4.2012.

This issues with the approval of Secretary Ministry of Drinking Water and Sanitation.

With regards,

Yours sincerely

13/6/2012

(Vijay Mittal)
Director/ NBA
Tele: 24364427, Fax: 24364869
E-Mail: vijay.mittal@nic.in

Copy to:

State/UT Coordinator
Nirmal Bharat Abhiyan
All States/UTs

सं.जे - 11017/41/2011 - महात्मा गाँधी नरेगा (पार्ट)
भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
(महात्मा गाँधी नरेगा प्रभाग)

कृषि भवन, नई दिल्ली-110001
दिनांक : 07 जून, 2012

सेवा में,

प्रधान सचिव/सचिव,
ग्रामीण विकास
सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

विषय : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (महात्मा गाँधी नरेगा) के अन्तर्गत स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध कराने से संबंधित कार्यों को शुरू करने के लिए दिनांक 10.05.2012 के दिशानिर्देशों में संशोधन ।

महोदय/महोदया,

राज्यों से प्राप्त जानकारियों के आधार पर तथा पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय की सहमति से ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मौजूदा दिशानिर्देशों में निम्नलिखित संशोधन/संयोजन/परिवर्तन किए हैं :

(क) पैरा 5 (छ) [पृष्ठ 5]
(ख) पैरा 6.2 (ख) [पृष्ठ 6]
(ग) पैरा 7.1 (ख) [पृष्ठ 8]
(घ) पैरा 7.2 [पृष्ठ 9]
(ड) पैरा 8 [पृष्ठ 9]

2. आवश्यक कार्रवाई के लिए **संशोधित दिशानिर्देशों** की एक प्रति संलग्न है ।

3. वित्त वर्ष 2012-13 के श्रम बजट में यदि शौचालयों को शामिल न किया गया हो तो यथोचित प्रक्रियाओं का अनुपालन करके आवश्यक बदलाव किए जा सकते हैं ।

4. संदर्भ समझने में मदद करने के लिए संशोधनों/संयोजनों/परिवर्तनों को बड़े अक्षरों में दर्शाया गया है ।

भवदीय,
के.के. त्रिपाठी
(डॉ.के.के. त्रिपाठी)
निदेशक (महात्मा गांधी नरेगा)

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :

1. मंत्री (ग्रामीण विकास) के निजी सचिव/ सचिव (ग्रामीण विकास) के प्रधान निजी सचिव/अपर सचिव (ग्रामीण विकास) के निजी सचिव ।
2. संयुक्त सचिव (महात्मा गांधी नरेगा) के प्रधान निजी सचिव ।
3. महात्मा गांधी नरेगा प्रभाग के सभी निदेशक/उप सचिव/अवर सचिव ।

स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध कराने से संबंधित कार्यों को करने के लिए दिशानिर्देश

महात्मा गांधी नरेगा की अनुसूची 1
पैरा 1 ख (xv) के अन्तर्गत संशोधित
अनुदेश
(फाइल सं. जे - 11013/01/2011 महात्मा गांधी नरेगा (पार्ट VI), दिनांक : 07.06.2012)

महात्मा गाँधी नरेगा प्रभाग
ग्रामीण विकास विभाग
ग्रामीण विकास मंत्रालय
भारत सरकार

जून, 2012

1

विषय सूची

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ सं0
1.	संदर्भ	3
2.	उद्देश्य	3
3.	लिए जा सकने वाले कार्यकलाप	4
4.	डिजाइन	4
5.	कार्य निष्पादन की वे मदें, जिन पर समझौता नहीं किया जा सकता	4-6
6.	आयोजना और निष्पादन में महात्मा गांधी नरेगा प्रक्रियाओं का अनुपालन	6-8
7.	व्यय का तरीका	8-9
8.	निगरानी एवं रिपोर्ट	9

संक्षिप्तियों की सूची

एएस/एफएस	प्रशासनिक/वित्तीय मंजूरी
डीपीसी	जिला कार्यक्रम समन्वयक
जीओआई	भारत सरकार
जीपी	ग्राम पंचायत
यूनीक आईडी नंबर	विशिष्ट पहचान संख्या
आईएचएचएल	वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय
जे.ईएन	कनिष्ठ अभियन्ता
महात्मा गाँधी नरेगा	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
एमजीएनआरईजीएस	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना
एमओआरडी	ग्रामीण विकास मंत्रालय
एमडीडब्ल्यूएस	पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय
पीओ	कार्यक्रम अधिकारी
एसएलडब्ल्यूएम	ठोस एवं द्रव्य अपशिष्ट प्रबंधन
एसओआर	दरों की अनुसूची
टीए	तकनीकी सहायक
टीएस	तकनीकी मंजूरी
टीएससी	संपूर्ण स्वच्छता अभियान

नोट : स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध कराने से संबंधित कार्यों को करने के लिए दिशानिर्देशों में पहला संशोधन ग्रामीण विकास मंत्रालय के दिनांक 10.05.2012 के परिपत्र पत्र सं. जे - 11013/01/2011 महात्मा गांधी नरेगा (पार्ट VI) द्वारा किया गया था । दिनांक 07.06.2012 के संशोधित परिपत्र में मौजूद दिशानिर्देशों के निम्नलिखित पैराग्राफ [पृष्ठ सं.] में संशोधन/संयोजन/परिवर्तन किए गए हैं :

(क) पैरा 5 (छ) [पृष्ठ 5]
(ख) पैरा 6.2 (ख) [पृष्ठ 6]
(ग) पैरा 7.1 (ख) [पृष्ठ 8]
(घ) पैरा 7.2 [पृष्ठ 9]
(ङ) पैरा 8 [पृष्ठ 9]

महात्मा गांधी नरेगा की अनुसूची-I के पैरा 3(XV) के अंतर्गत स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध कराने से संबंधित कार्यों की आयोजना, निष्पादन और निगरानी के लिए दिशानिर्देश/अनुदेश

1. सन्दर्भ :

1.1 ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 30 सितम्बर, 2011 की अधिसूचना संख्या का.आ.2265(स्था.) एवं का.आ. 2266 (स्था.) के तहत स्वच्छता-सुविधाएं उपलब्ध कराने को शामिल करने के लिए मनरेगा की अनुसूची 1 के पैरा 1(IX) के अंतर्गत कार्यों के दायरे का विस्तार किया था और इन कार्यों के लिए प्रचालन दिशानिर्देश जारी किए थे । मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, मनरेगा के अंतर्गत उप ढाँचा स्तर तक वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय (आईएचएचएल) के निर्माण हेतु सहायता उपलब्ध है । इन दिशानिर्देशों की समीक्षा की गई थी और इन्हें 10-05-2012 को संशोधित किया गया था । राज्यों द्वारा किए गए अनुरोधों और उपलब्ध कराई गई फीडबैक के आधार पर, यह निर्णय किया गया है कि दिनांक 10-05-2012 के दिशानिर्देशों में किए गए कुछ प्रावधानों में आगे और संशोधन किया जाए ।

1.2 दिनांक 10 मई, 2012 को जारी किए गए दिशा-निर्देशों के स्थान पर आगे दर्शाए गए संशोधित दिशानिर्देश लागू होंगे ।

2. उद्देश्य :

स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध कराने को शामिल करने के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे:-

(क) ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना तथा इसके द्वारा ग्रामीण आजीविका के आधार को सुदृढ़ करना ।

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाऊ परिसम्पत्तियों का सृजन करना तथा ग्राम स्तर पर अवस्थापना सुविधा में सुधार लाना ।

(ग) महिलाओं को निजी और शालीन शौच सुविधाएं प्रदान करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कवरेज की गति बढ़ाना ।

3. इन दिशानिर्देशों के अनुसार मनरेगा के अंतर्गत लिए जा सकने वाली गतिविधियाँ :

(क) पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा संचालित "संपूर्ण स्वच्छता अभियान" के अनुदेशों/दिशा निर्देशों के अनुसार वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों (आईएचएचएल) का निर्माण । तथापि, आईएचएचएल के लिए मनरेगा से दी जाने वाली सहायता नीचे पैरा 7 में दिए गए प्रावधानों तक ही सीमित होगी ।

(ख) संस्थागत परियोजनाओं के रूप में आंगनवाड़ी शौचालय इकाई तथा विद्यालय शौचालय इकाई का निर्माण ।

(ग) प्रस्तावित अथवा पूर्ण निर्मल ग्रामों में ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एसएलडब्ल्यूएम) कार्य ।

4. डिजाइन और विशेषताएँ :

(क) डिजाइनों और विशेषताओं के लिए पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जाएगा । भू-जलवायु स्थितियों और निर्माण सामग्री के आधार पर स्थानीय डिजाइन भिन्नताओं (रूपान्तरणों) में भी पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार के अनुदेशों/दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जाएगा ।

(ख) यदि एक लाभार्थी बेहतर डिजाइन/अधिक बड़े आकार के आईएचएचएल का निर्माण कराने का इच्छुक है तो उसे भी स्वीकार किया जाएगा । तथापि, मनरेगा से किया जाने वाला भुगतान इन दिशानिर्देशों के पैरा 7 में दिए गए प्रावधानों तक सीमित होगा ।

5. कार्य निष्पादन की वे मदें जिन पर समझौता नहीं किया जा सकता :

(क) अकुशल कार्य के लिए केवल जॉब कार्ड धारक ही नियोजित किए जाएंगे । आईएचएचएल के लिए, यह आवश्यक है कि लाभार्थी भी अपने आईएचएचएल के निर्माण में कार्य करे । यदि लाभार्थी के पास जॉब कार्ड नहीं है तो वह इसके लिए आवेदन कर सकता है/आवेदन कर सकती है ।

4

(ख) मस्टर रोलों का रखरखाव कार्यस्थल पर किया जाएगा, जिसकी प्रतियाँ ग्राम पंचायत में रखी जाएंगी । सभी डाटा पब्लिक डोमेन में भी होंगे तथा उनकी प्रविष्टि www.nrega.nic.in पर की जाएगी ।

(ग) मजदूरी का भुगतान केवल बैंक/डाकघर खातों के माध्यम से ही किया जाएगा, जब तक कि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा छूट न दी जाए ।

(घ) शौचालय इकाइयों के निर्माण के लिए किसी भी ठेकेदार और मशीन को काम पर नहीं लगाया जाएगा ।

(ङ) सृजित रोजगार का रिकार्ड अलग से रखा जाएगा ।

(च) वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय के मामले में वैयक्तिक पारिवारिक लाभार्थी निजी भूमि/वासभूमि पर निर्माण कार्य के लिए मनरेगा के अंतर्गत पात्र परिवार होगा ।

(छ) जिला जल और स्वच्छता मिशन संबंधित ग्राम पंचायतों के लिए अनुमोदित संपूर्ण स्वच्छता मिशन (टीएससी) योजना के बारे में ग्राम पंचायतों को सूचित करेगा । योजना में ग्राम पंचायत के लिए अनुमोदित वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों (आईएचएचएल) की कुल संख्या शामिल होगी । ग्राम पंचायतें ग्राम सभा का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद निर्दिष्ट संख्या के भीतर वैयक्तिक लाभार्थियों की सूची को अंतिम रूप देंगी और इसको मनरेगा के अंतर्गत परियोजनाओं की अनुमोदित सूची के भाग के रूप में भी शामिल करेंगी ।

(ज) पैरा 3(क) और 3(ख) के अंतर्गत शौचालयों का निर्माण मनरेगा के अधीन केवल तभी शुरू किया जाएगा, जब कि इनका निर्माण संपूर्ण स्वच्छता अभियान (टीएससी) के अंतर्गत पहले नहीं किया गया है ।

(झ) निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए समग्र आईएचएचएल इकाई को मनरेगा परियोजना माना जाएगा :

(क) कार्य के लिए विशिष्ट पहचान (यूनीक आई.डी.) देना;
(ख) निर्माण कार्य और सम्पत्ति रजिस्टर में प्रविष्टि;
(ग) ग्राम सभा द्वारा सामाजिक लेखा-परीक्षा;
(घ) सतर्कता और निगरानी समिति द्वारा मूल्यांकन ।

(ञ) प्रत्येक ग्राम पंचायत सभी आईएचएचएल, विद्यालय शौचालय एवं आंगनवाडी शौचालय की एक संपूर्ण सूची रखेगी, चाहे शौचालयों का निर्माण कार्य मनरेगा में शामिल कार्यों के रूप में अथवा अन्य द्वारा पूरा किया गया हो । संपत्ति रजिस्टर में टीएससी से प्राप्त सहायता/प्रोत्साहन के उपयोग, राज्य प्रोत्साहन, लाभार्थी के अपने अंशदान तथा मनरेगा से प्राप्त राशि के व्यय का ब्यौरा अलग-अलग दर्शाया जाना चाहिए ।

6. आयोजना और निष्पादन में महात्मा गांधी नरेगा प्रक्रियाओं की सुनिश्चितता :

6.1 आयोजना :

(क) वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों (आईएचएचएल) का निर्माण करने के इच्छुक एक ग्राम/वार्ड अथवा ग्राम पंचायत के सभी पात्र लाभार्थियों की एक संयुक्त सूची तैयार की जाए । इस सूची को अनुमोदन और परियोजनाओं की सूची में शामिल करने के लिए ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा । ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित सभी वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों (आईएचएचएल) के लिए संयुक्त एएस/एफएस जारी किए जाएंगे।

(ख) प्रत्येक संस्थागत परियोजना तथा एसएलडब्ल्यूएम कार्यों के लिए स्वीकृतियां अलग-अलग प्रदान की जाएंगी ।

6.2 अनुमानित लागत :

(क) निर्माण कार्यों के लिए एएस/एफएस देने के बाद पंचायत/संबंधित विभागों के सम्बद्ध तकनीकी सहायक/कनिष्ठ अभियंता स्वच्छता सुविधाओं के लिए नक्शा/डिजाइन/विशिष्ट विवरण तथा क्षेत्र विशेष में मनरेगा कार्यों के लिए उपलब्ध एसओआर के अनुसार कार्यों की अनुमानित लागत तैयार करेंगे ।

(ख) आईएचएचएल की अनुमानित लागत पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय की टाइप डिजाइन पर आधारित होंगे और संयुक्त प्रशासनिक स्वीकृति और वित्तीय स्वीकृति (एएस एण्ड एफएस) के अनुसार संयुक्त तकनीकी स्वीकृति (टीएस)जारी की जाएगी।

(ग) मनरेगा कार्यों के लिए प्रत्यायोजित मानदण्डों/शक्तियों के अनुसार संबंधित प्राधिकारियों द्वारा उन कार्यों के लिए तकनीकी स्वीकृति जारी की जाएगी ।

6.3 कार्य निष्पादन :

(क) संबंधित ग्राम पंचायत कार्यान्वयन एजेंसी होंगी ।

(ख) ग्राम पंचायत से अनुरोध प्राप्त होने पर, पीओ मस्टर रोल जारी करेगा ।

(ग) प्रत्येक आईएचएचएल, विद्यालय शौचालय इकाई, आंगनवाड़ी शौचालय तथा एसएलडब्ल्यूएम परियोजना को स्वतंत्र कार्य माना जाएगा और तदनुसार मस्टर रोल जारी होंगे ।

(घ) इन मस्टर रोलों के फार्मेट (रूप रेखा) में संशोधन ऐसा किया जाए, ताकि इस कार्य का प्रबंधन कुशलता से किया जा सके । तथापि, मनरेगा की अनुसूचियों में यथानिर्धारित न्यूनतम विशेषताओं को शामिल किया जाना आवश्यक होगा ।

(ङ) उसके कार्य क्षेत्र में आने वाले प्रस्तावित संस्थागत शौचालयों के निर्माण के अतिरिक्त एक समय में एक ग्राम पंचायत में किये जाने वाले प्रस्तावित प्रत्येक 15-25 पारिवारिक शौचालयों (वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों की भौगोलित स्थिति पर निर्भर करते हुए) के लिए एक मेट की नियुक्ति की जाए ।

i. उसे सौंपी गई ग्राम पंचायत/गांव/बस्ती में सभी वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों/संस्थागत परियोजनाओं के लिए मस्टर रोल का रखरखाव करना।

ii. कुशल और अकुशल मजदूरों की उपस्थिति दर्ज करना।

iii. यह सुनिश्चित करना कि निर्माण कार्य कम-से-कम पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट डिजाइन के अनुरूप हो और इस आशय को प्रमाणित करेगा/करेगी।

iv. उसे सौंपे गए वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय का निर्माण कार्य संपन्न होने पर मेट उपस्थिति और किए गए कार्य की मात्रा के संबंध में मस्टर रोल पर हस्ताक्षर करेगा/करेगी और अगली कार्रवाई के लिए कनिष्ठ अभियंता/तकनीकी सहायक को सौंप देगा/देगी।

v. तत्पश्चात तकनीकी सहायक/कनिष्ठ अभियंता ऐसी सभी इकाइयों के संबंध में एमबी दर्ज करेगा/करेगी।

च) वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय का निर्माण कार्य अकुशल मजदूरों की अधिकतम 20 दिहाड़ियाँ और कुशल मजदूरों (राजगीर/पलैम्बर) की 6 दिहाड़ियाँ लगाकर संपन्न किया जाना चाहिए। वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों को छोड़कर अन्य स्वच्छता सुविधाओं के निर्माण का कार्य मौजूदा एसओआर के अनुसार संपन्न किए जाएंगे।

छ) वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों को छोड़कर अन्य स्वच्छता सुविधाओं के लिए मापन का कार्य साप्ताहिक आधार पर संबंधित तकनीकी सहायक/कनिष्ठ अभियंता महात्मा गांधी नरेगा के मानकों के अनुसार करेंगे। मापन की प्रविष्टियाँ कार्य के आकलन के साथ मापन पुस्तिका एवं मस्टर रोल में दर्ज की जाएंगी। वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय के मामले में, शौचालय तैयार हो जाने पर कार्य का मापन किया जाएगा।

ज) संपूर्ण स्वच्छता अभियान दल की मदद से ग्राम पंचायत यह सुनिश्चित करेगी कि वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय, आंगनवाड़ी शौचालय और स्कूल शौचालय के निर्माण में सभी कार्यकलापों और सामग्री की आपूर्ति का आयोजन और निष्पादन इस प्रकार किए जाएं ताकि कार्य के संपादन एवं निष्पादन में निरंतरता बनी रहे।

7. व्यय का तरीका :

7.1 स्वच्छता सुविधाओं के निर्माण के लिए निम्नलिखित कार्यकलापों पर व्यय की पूर्ति महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत उपलब्ध निधियों से और महात्मा गांधी नरेगा प्रक्रिया के अनुसार मस्टर रोलों के जरिए की जाएगी :

क) वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय (आईएचएचएल) के निर्माण कार्य के लिए अकुशल मजदूर (अधिकतम 20 दिहाड़ियाँ) और कुशल मजदूर (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत सामग्री घटक के अंतर्गत अधिकतम 6 दिहाड़ियाँ)। तथापि, महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत दर्ज की जाने वाली राशि प्रति शौचालय 4500 रुपए से अधिक नहीं होगी।

ख) कुशल मजदूर और मेट उपलब्ध कराने की लागत महात्मा गांधी नरेगा के प्रावधान के अनुसार सामग्री घटक के तहत दर्ज की जाएगी और तद्नुसार इस लागत को निर्माणाधीन वैयक्तिक शौचालयों में आनुपातिक आधार पर बाँटा जाएगा।

8

7.2 वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों के निर्माण के लिए किए जाने वाले शेष आवश्यक कार्यकलापों का वित्तपोषण पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा दिए जाने वाले प्रोत्साहन/राज्य सरकार या लाभार्थी के अपने अंशदान का उपयोग करते हुए संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम से किया जाएगा। **इस प्रयोजनार्थ जिला जल स्वच्छता मिशन (डीडब्ल्यूएसएम) यथानिर्धारित कार्य करने के लिए संबंधित ग्राम पंचायतों को केन्द्र एवं राज्य, दोनों के अंशदान रिलीज करेगा, ताकि वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय के निर्माण के लिए निर्धारित लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि के भुगतान के लिए निधियों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।**

7.3 तकनीकी सहायक/कनिष्ठ अभियंता द्वारा कार्यों का मापन, निर्धारित टास्क के आधार पर कार्य का आकलन किए जाने एवं मस्टर रोल एवं मापन पुस्तिका में विधिवत दर्ज किए जाने के बाद ही महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत काम करने वाले अकुशल एवं कुशल मजदूरों को भुगतान किया जाएगा।

8. निगरानी और रिपोर्ट :

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत स्वच्छता सुविधाओं के निर्माण कार्य की प्रगति की जिम्मेदारी जिला कार्यक्रम समन्वयक (डीपीसी) और संबंधित दिशानिर्देशों में यथोल्लिखित प्रावधानों के अनुसार संपूर्ण स्वच्छता अभियान चला रही एजेंसी की होगी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत सभी स्वच्छता सुविधाओं के निर्माण कार्य की सामाजिक लेखा परीक्षा महात्मा गांधी नरेगा और संपूर्ण स्वच्छता अभियान के विनियमों/दिशानिर्देशों के अनुसार की जाएगी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की ऑनलाइन प्रतिवेदन प्रणाली एवं संपूर्ण स्वच्छता अभियान के आईएमआईएस में **उपयुक्त** फार्मेट विकसित करके निर्मित वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों और संपूर्ण स्वच्छता अभियान एवं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत उपलब्ध निधियों का उपयोग करते हुए तालमेल के जरिए किए गए खर्च की रिपोर्ट करने के लिए उपयुक्त निगरानी व्यवस्था अपनाई जाएगी, ताकि भौतिक एवं वित्तीय प्रगति के बारे में दो अलग-अलग रिपोर्टें तैयार न हों। मासिक आधार पर ग्राम पंचायत-वार आंकड़ों का संकलन कर जिला कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से रिपोर्टें भेजी जाएंगी।

ये दिशानिर्देश पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय की सहमति से जारी किए गए हैं।

के.के. त्रिपाठी
(डा. के.के. त्रिपाठी)
निदेशक (महात्मा गांधी नरेगा)

9

J.S. MATHUR
Joint Secretary
Ministry of Drinking
Water & Sanitation
Tel: 24362705

सत्यमेव जयते
Government of India

MANOJ JHALANI
Joint Secretary
Ministry of Health &
Family Welfare
Tel: 23063687

Jt. D.O. No. W-11042/7/2007-CRSP-Part   Dated: 18th May, 2012

Dear

The Government of India runs the 'Total Sanitation Campaign (TSC) being administered by the Ministry of Drinking Water and Sanitation that aims to provide access to individual toilets to all rural households as a major component of the scheme.

Good sanitation is now universally recognised as a major proximate determinant for health indicators. The impact on human health of poor sanitation and unhygienic practices are significant, with links to spread of waterborne diseases and intestinal infections that are among leading causes of malnutrition, illness and death. It is estimated that one in every ten deaths in India is linked to poor sanitation and hygiene, and diarrhea accounts for every twentieth death, mostly in children under five. Lack of proper sanitation increases the disease burden and impacts the economic productivity of individuals. According to a UNICEF-WHO (2010) estimate, close to 58% of all open defecation in the world is in India and nearly 60% of India's population still practices open defecation.

The Accredited Social Health Activist (ASHA), is one of the key components of the National Rural Health Mission (NRHM) who works as an interface between the community and the public health system to promote health care at household level. Behaviour Change Communication (BCC) is critical for adoption of good sanitation practices by communities wherein ASHAs can contribute significantly .There are 8.1 lac ASHAs in the country and each one of them can play a key role at the village level, in creating awareness for demand generation for sanitation facilities. Some States like Madhya Pradesh, Rajasthan and Maharashtra are already utilising their services successfully for advocating the cause of good sanitation.

Under the scheme of Total Sanitation Campaign, motivators may be engaged at the village level for demand generation of facilities and sustaining good sanitation practices.TSC Guidelines (Para 5.3.2) provide for a suitable incentive for motivators, for their, role in creating awareness and demand in the community for sanitation.

ASHAs may be given an incentive for their role in motivating households to construct and use a toilet. The Ministry of Drinking Water and Sanitation has permitted an incentive of Rs 75/- per household toilet to ASHA workers for promoting toilet usage. Payment of the incentive may be made from the 15% of the District Project outlay that is earmarked for IEC activities under TSC.

As such, States may encourage ASHAs who are also convenors of Village Health; Sanitation and Nutrition Committees, as grass-root motivators to play a proactive role in making door to door contact and motivating village communities to construct and use toilets. Looking to the close link between health and sanitation, you may issue necessary instructions to involve ASHAs for demand generation and use of sanitation facilities.

With regards,

Yours sincerely,

J.S. MATHUR
Joint Secretary
MDWS

MANOJ JHALANI
Joint Secretary
MH&FW

To
All the State Secretaries in-charge of Rural Sanitation & Health

J-11012/2/2006-RH
Government of India
Ministry of Rural Development

Krishi Bhavan, New Delhi
Dated 18th May, 2011

To

Principal Secretary/ Secretary in charge of RD/Housing
All States/UTs
Principal Secretaries/Secretary in charge of Rural Sanitation
All States/UTs

Subject: Dovetailing of funds under TSC with IAY for construction of toilets-reg

Sir/Madam

As you may be aware, the Indira Awaas Yojana (IAY) guidelines updated up to May 2010 stipulate that there should be convergence with activities and funds provided under Total Sanitation Campaign (TSC) for providing sanitary latrines in the IAY houses.

The Department of Drinking Water and Sanitation Implements the Total Sanitation Campaign (TSC) under which BPL beneficiaries are provided an incentive of Rs 2200 (Rs 2700/- hilly and difficult areas) on construction of a sanitary latrine .

It has however been observed that the number of IAY beneficiaries availing incentives from the TSC for constructing toilets with the IAY house is extremely low. Instances have also come to notice where the authorities and beneficiaries are not aware that IAY beneficiaries are eligible for additional funds under the TSC for construction of a toilet alongwith the IAY house.

In view of the above, it is requested that the following instructions may be issued to all concerned officials to make the initiative of convergence more effective:

1. All IAY beneficiaries who are sanctioned a house will be sanctioned one toilet each under TSC if eligible, simultaneously and admissible incentives will be provided to the beneficiary from TSC for construction of same. The authority sanctioning of the house under IAY will be responsible for ensuring that in cases where there is no toilet, incentives on construction of a toilet by the IAY beneficiary under the TSC are simultaneously sanctioned.

2. The layout, location and technology of the sanitary latrines in IAY houses must be appropriately designed to ensure safe disposal of faecal waste preferably in leach pit toilet and as per the geophysical conditions of the region.

3. IEC material on TSC be included in IAY publicity material.

4. Joint Training programme must be organized for functionaries under TSC and IAY at State level, District, Block and Gram Panchayat level on provisions of both schemes.

-2-

5. It may be noted that the clause for deduction of Rs. 600 from the IAY unit assistance in case a beneficiary fails to construct a toilet has been deleted from the IAY guidelines w.e.f Feb. 2006. Accordingly, it is reiterated that no deduction is to be made from the unit assistance for construction of houses. However, concentrated efforts should be made for awareness generation of the beneficiaries to ensure that they construct and use toilet while availing of the incentives amount provided under TSC.

Our concerted efforts should be to provide a durable and affordable dwelling unit with a clean and healthy living environment for the rural poor for which a toilet is a primary prerequisite that should be accorded utmost priority.

With regards,

Yours faithfully

13/05/11

(J.S.Mathur)
Joint Secretary (Sanitation)
Deptt. of Drinking Water and Sanitation
Department of Rural Development

(Sanjay Kumar Rakesh)
Joint Secretary(Rural Housing)
Department of Rural Development

Cc : TSC Coordinator, All States/UTs

जितेन्द्र शंकर माथुर, आई.ए.एस
संयुक्त सचिव
Jitendra Shankar Mathur, I.A.S
Joint Secretary

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय
Government of India
Ministry of Drinking Water and Sanitation
12th Floor, Paryavaran Bhavan, C.G.O. Complex
Lodhi Road, New Delhi - 110 003
Tel. No. : 24362705 Fax : 24361062
E-mail : js.tsc@nic.in

D.O. No. W-11042/4/2004- CRSP Part dated 16th July, 2012

Dear Dr. Shreeranjan,

The Government of India runs the 'Total Sanitation Campaign (TSC) renamed as the Nirmal Bharat Abhiyan(NBA),being administered by the Ministry of Drinking Water and Sanitation that aims to provide access to individual toilets to all rural households and toilets in Schools and Anganwadis as a major component of the scheme.

It is now universally recognized that poor sanitation and unhygienic practices where an adverse impact on health with links to spread of waterborne diseases that are among leading causes of malnutrition, illness and death **particularly for women and children**. It is estimated that one in every ten deaths in India is linked to poor sanitation and hygiene, and diarrhea accounts for every twentieth death, mostly in children under five. According to a UNICEF-WHO (2010) estimate, close to 58% of all open defecation in the world is in India and nearly 60% of India's population still practices open defecation.

Anganwadi Worker (AWW) and Anganwadi Helpers are the front line workers at the village level providing voluntary services for holistic development of children from 0 to 6 years and pregnant and lactating mothers under the under Integrated child Development Services (ICDS) Scheme. The services provided through AWWs and AWHs range from providing supplementary nutrition, immunization, health check ups, referral services, pre-school non- formal education and nutrition and health education. Behaviour change communication is critical for adoption of good sanitation practices by communities wherein AWWs can contribute significantly. There are 13.70 lakh Anganwadi Workers and 12.53 lakh Anganwadi Helpers in the country and each one of them can play a key role at the village level in creating awareness for demand generation for sanitation facilities.

As such, States may encourage AWW and AWH who are also members of Village Health, Sanitation and Nutrition Committees, as grass-root motivators to play a proactive role in making door to door contact and motivating village communities to construct and use toilets.

Under the scheme of Nirmal Bharat Abhiyan motivators may be engaged at the village level for demand generation of facilities and sustaining good sanitation practices. The guidelines provide for an outcome based incentive for motivators, for their role in creating awareness and demand in the community for sanitation.

.........2/-

सभी के लिए स्वच्छता
और स्थायी पेयजल आपूर्ति

Sustainable Sanitation and Drinking Water Supply for all

-: 2 :-

Para 5.3.2 of the guideline states that "The Motivator can be given suitable incentive from the funds earmarked for IEC. The incentive will be performance based i.e. in terms of motivating the number of households and schools/ Anganwadis to construct latrines and soakage pits and also use the same subsequently.

It is proposed that information regarding construction and of toilets may be included as a component in the family survey register maintained by AWW so that they could motivate the community particularly women to construct and use toilets. Both the Ministries may also issue a joint letter emphasizing upon States to utilize services of Anganwadi workers for promotion of sanitation activities accordingly.

With best wishes,

Yours sincerely,

o/c

Letter issued 16.7.12

[J.S. MATHUR]

Dr. Shreeranjan
Joint Secretary to the Government of India
Ministry of Women & Child Development
Shastri Bhawan
New Delhi

Annexure-VII

Publications of Government of India / Ministry of Drinking Water and Sanitation for reference

Sl. No	Reference
1.	Handbook on Technical Options for On Site Sanitation
2.	Handbook on Scaling up Solid and Liquid Waste Management in Rural Areas
3.	IEC guidelines 2010
4.	Gram Panchayat Handbook
5.	Establishment and Management of Community Sanitary Complexes in Rural Areas
6.	Swachchhata Doot guidelines 2011

किसी भी जानकारी के लिए सम्पर्क करें :

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

12 तल, पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स

लोदी रोड़, नई दिल्ली–110003

वेबसाई : www.ddws.nic.in